आज़ादी का अमृत महोत्सव

एनएचपीसी
NHPC

राजभाषा ज्योति

अंक : 43 अप्रैल-सितंबर, 2023

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण बैठक

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
एनएचपीसी लिमिटेड

संदेश

हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी ने कहा था कि 'हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुन्दर बनाना हमारा कर्तव्य है'। हिंदी भाषा और साहित्य का देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता, संवाद और सद्भाव को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाती है। इसलिए राष्ट्र निर्माताओं ने संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है।

भारत में जलविद्युत के विकास में एनएचपीसी लिमिटेड सदैव अग्रणी संगठन रहा है। देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में अपने प्रशंसनीय प्रयासों से यह संगठन प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। जलविद्युत उत्पादन और नई परियोजनाओं के विकास कार्यों के साथ-साथ निगम के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग भी निरंतर बढ़ रहा है। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं।

एनएचपीसी लिमिटेड के सभी अधिकारी और कर्मचारी राजभाषा हिंदी को केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रखकर गर्व के साथ सभी क्षेत्रों में क्रियान्वित कर रहे हैं । सभी कार्मिक स्वतः प्रेरित होकर निष्ठा एवं लगन से अपना कार्य हिंदी में कर रहे हैं। यह अपनी भाषा के प्रति प्रेम व गौरव की भावना का परिचायक है। विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान लगातार दो वर्षों के लिए राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए निगम मुख्यालय को द्वितीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। यह हम सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में सृजनात्मक कला को जागृत रखने के लिए निगम की गृह पत्रिका **'राजभाषा ज्योति'** का वर्ष में दो बार प्रकाशन किया जाता है। अतः पत्रिका को ज्ञानवर्धक और मूल्यवान बनाने में सभी से योगदान की अपेक्षा है।

मैं **'राजभाषा ज्योति'** पत्रिका के नवीनतम अंक के प्रकाशन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और मुझे विश्वास है कि हम सभी राजभाषा हिंदी की उतरोत्तर वृद्धि में अपना बहुमूल्य योगदान देते रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित !

(राजीव कुमार विश्नोई)

निदेशक (कार्मिक)
एनएचपीसी लिमिटेड

संदेश

हिंदी भारतीय जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। हिंदी केवल भाषा नहीं हमारी सांस्कृतिक एकता और लोक संस्कृति की पहचान कराने का परिचायक है । मेरा मानना है कि किसी भी देश या संस्थान की प्रगति में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि देश हो या संस्थान उनके शासकीय प्रयोग में आने वाली भाषा में आम जनमानस या हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हिंदी बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ-साथ विश्व की संभवतः एक वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं।

भारतीय संविधान के अंतर्गत विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास पर भी बल दिया गया है किंतु सभी भारतीय भाषाओं की शिरोमणी के रूप में देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संघ की राजभाषा होने के नाते यह हम सभी की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हम हिंदी भाषा को गौरव के साथ अपने जीवन में उच्चतम स्थान दें और उसका अधिकाधिक प्रचार व प्रसार करें। भाषा के प्रचार-प्रसार को सिर्फ कार्यालयीन कार्यों तक ही सीमित न रखकर अपने परिवारजनों के बीच भी हिंदी भाषा के प्रति लगाव को बढ़ाएं।

मैंने देखा है कि निगम में राजभाषा कार्यान्वयन का अच्छा कार्य हो रहा है। मुझे यह जानकर गौरव हुआ कि राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में हमारे निगम को राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। संसदीय राजभाषा समिति ने भी राजभाषा निरीक्षण बैठकों के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन के लिए हमारे प्रयासों की सराहना की है। यह सभी सम्मान व पुरस्कार एक प्रकार के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं ताकि हम प्रेरित होकर उस क्षेत्र में और अधिक उत्कृष्ट कार्य करें।

निगम की हिंदी पत्रिका **'राजभाषा ज्योति'** न सिर्फ कार्मिकों को बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी अपनी सृजनात्मक कला को परिष्कृत करने का मंच प्रदान करती है। अतः हमारे कार्मिक स्वयं अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की रचनाएं पत्रिका में प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग को नियमित रूप से भिजवाएं। मैं आशा करता हूँ कि रोचक एवं रचनात्मक लेखों से पत्रिका ज्ञानार्जन में सहायक होगी एवं हिंदी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी।

पत्रिका के प्रकाशन के लिए राजभाषा विभाग की पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं।

(उत्तम लाल)

एनएचपीसी NHPC

कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)
एनएचपीसी लिमिटेड

संदेश

मानव विकास चक्र में शुरूआत से ही भाषा की महत्ता और आवश्यकता पर जोर रहा है । अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम केवल निज भाषा है । विदेशी अथवा बाहरी भाषा को अपनाकर हम अपने मूल विचारों को भली-भांति अभिव्यक्त नहीं कर सकते । अपनी बात को कहने व सुनाने की अद्भुत शक्ति केवल मनुष्य को ही मिली है ।

किसी भी राष्ट्र के भावों और विचारों की अभिव्यक्ति उसकी भाषा से ही स्पष्ट होती है। भारत विभिन्नताओं का देश है जहां के हर क्षेत्र की अपनी बोली और अपनी संस्कृति है । इसी प्रकार भारत भर में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं । सभी भारतीय भाषाएं अपने आप में समृद्ध हैं किन्तु उन सभी भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है क्योंकि यह अधिकांश भारतीयों द्वारा समझी व बोली जाती है। हिंदी भारत की सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने में सक्षम है। यह समस्त भारत में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक सम्पर्क माध्यम के रूप में स्थापित होने में सक्षम है । हिंदी की इसी क्षमता के कारण इसे संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड (1) में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है।

अतः हिंदी में कार्य करना हम सभी का संवैधानिक कर्तव्य है। निगम में राजभाषा का प्रसार सतत गति से आगे बढ़ रहा है। सभी कार्मिकों के सामूहिक प्रयासों से निगम को राजभाषा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। निगम की पत्रिका **'राजभाषा ज्योति'** के प्रकाशन से हिंदी भाषा के विकास को बल मिलता है। कार्मिकों के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी लेखों के संकलन से पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। यह उनके रचनात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक सार्थक मंच प्रदान करती है ।

मुझे आशा है कि **'राजभाषा ज्योति'** पत्रिका के इस नवीन अंक में संकलित सामग्री को सभी कार्मिक पसंद करेंगे और राजभाषा हिंदी की उतरोत्तर वृद्धि में अपना योगदान देंगे।

हार्दिक शुभकामनाओं के साथ!

(लूकस गुड़िया)

संपादकीय...

हिंदी का इतिहास बहुत पुराना है। पांच हजार साल से भी कहीं अधिक पहले से बोली जाने वाली संस्कृत भाषा जिसे आर्य भाषा या देवों की भाषा कहते हैं, इससे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। यह विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है जो हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में हिंदी का एक विशेष स्थान है। दुनिया में हिंदी की बढ़ती प्रसिद्धि को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी भविष्य की भाषा है। एक भारतीय होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हमें भी हिंदी के महत्व को बढ़ाना चाहिए।

देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। हिंदी देश की राजभाषा होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाए। इसी भावनात्मक प्रेरणा से निगम की पत्रिका **'राजभाषा ज्योति'** का 43वें अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका निगम के सभी कार्मिकों की हिंदी के प्रति लगाव को दर्शाती है।

'राजभाषा ज्योति' पत्रिका के इस 43वें अंक को नए एवं आकर्षक कलेवर के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अंक में कुछ नए कॉलम जोड़े गए हैं जिसमें स्थायी स्तंभ एवं राजभाषा की उपलब्धियां आदि हिंदी की प्रगति एवं कार्यालयीन कार्यों में सहयोगी होंगी, साथ ही साथ साहित्यिक एवं तकनीकी लेख पत्रिका को ज्ञानवर्धक एवं रोचक बनाते हैं।

एनएचपीसी में राजभाषा के प्रति कार्मिकों का जो लगाव है वह आपको उनकी विविध विधाओं में लिखे रचनात्मक लेखों के माध्यम ज्ञात हो जाएगा। सभी सुधीजनों को **'राजभाषा ज्योति'** का यह अंक पसंद आएगा, ऐसा मेरा मानना है। पत्रिका के संवर्धन हेतु आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

(प्रिय रंजन)
महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं प्रभारी (राजभाषा)

राजभाषा ज्योति

अंक: 43 - वर्ष 2023

राजभाषा विभाग

एनएचपीसी लिमिटेड

मुख्य संरक्षक
श्री राजीव कुमार विश्नोई
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री उत्तम लाल
निदेशक (कार्मिक)

परामर्शदाता
श्री लूकस गुड़िया
कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन)

संपादक
श्री प्रिय रंजन
महाप्रबंधक (मानव संसाधन) एवं
प्रभारी (राजभाषा)

उप संपादक
श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह
प्रबंधक (राजभाषा)

श्री हरि ओम शुक्ल
उप प्रबंधक (राजभाषा)

पत्राचार का पता
राजभाषा विभाग
एनएचपीसी लिमिटेड
सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा-121003
ई-मेलः rajbhasha-co@nhpc.nic.in

'राजभाषा ज्योति' पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार हैं। एनएचपीसी प्रबंधन का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अनुक्रमणिका

❂	जलविद्युत परियोजनाओं में अग्रिम चेतावनी प्रणालीः आवश्यकता एवं कार्यान्वयन	8
❂	स्थाई स्तम्भ - ज्ञानार्जन	12
❂	सामाजिक विकास से देश का उत्थान – एक दृष्टिकोण	14
❂	साहित्यकार - रामधारी सिंह 'दिनकर'	16
❂	खुद को अभिव्यक्त करें	18
❂	आध्यात्मिकता से अंतर्मन को पहचानें	20
❂	आजादी की राजनीति या राजनीति की आजादी	23
❂	साइबर अपराध से बचने के कारगर तरीके	24
❂	विद्युत सुरक्षा	26
❂	राजभाषा कार्यान्वयन उपलब्धियां	30
❂	मोटा अनाज यानि श्रीअन्न	32
❂	पवन ऊर्जा - स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	35
❂	हरित हाइड्रोजन: भविष्य की प्राकृतिक ऊर्जा की ओर एक कदम	37
❂	मेरी अनुवाद यात्रा	39
❂	अध्यात्म- संस्कृति एवं पर्यावरण	41
❂	मुख्य इनलेट वाल्व स्लाइडिंग फ्लैंज से पानी के रिसाव का प्रबंधन	43
❂	बांध सुरक्षा	45
❂	सतर्कता – मानव मूल्यों का मंत्र	49
❂	भारत के संविधान में राजभाषा संवैधानिक प्रावधान	51
❂	कविताएं	56
❂	प्रेरक प्रसंग	58

जलविद्युत परियोजनाओं में अग्रिम चेतावनी प्रणाली: आवश्यकता एवं कार्यान्वियन

विशाल कुमार सैनी, कार्यपालक निदेशक **मंजूषा मिश्रा,** महाप्रबंधक (सिविल) **समीर श्रीवास्तव,** प्रबंधक (सिविल)

डिज़ाइन एवं अभियांत्रिकी विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

प्रस्तावना:

भारत के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित जलविद्युत परियोजनाएं कई प्रकार की आपदाओं जैसे भूस्खलन, बादल फटना, अचानक बाढ़ आना, भूकंप, हिमस्खलन, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड और लैंड स्लाइड आदि के लिए सबसे संवेदनशील होती हैं। हिमनद गिरने से कभी-कभी नदी में पानी का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है जिससे कृत्रिम झील का निर्माण होता है। इस कृत्रिम निर्मित झील का बांध अचानक टूट जाता है और इस तरह अचानक बाढ़ आ जाती है। ऐसी आपदाओं के कारण जीवन और संपत्ति के जोखिम को कम करने के लिए एक व्यापक अग्रिम चेतावनी प्रणाली को विकसित करना/अपनाना समय की आवश्यकता है। एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली बाढ़ के पूर्वानुमान, मानव और उनके जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करने के लिए पर्याप्त समय देकर, प्रभावी समाधान प्रदान कर सकती है। एनएचपीसी लिमिटेड के 24 पावर स्टेशन परिचालन में हैं और 9 परियोजनाएं (संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों सहित) निर्माणाधीन हैं। एनएचपीसी लिमिटेड भारत में अपनी परियोजनाओं और पावर स्टेशनों में अग्रिम चेतावनी प्रणाली की स्थापना करने वाली अग्रणी संस्था है। एनएचपीसी ने अपने सभी पावर स्टेशनों के लिए अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित की है और इसे लगातार और अधिक सुदृढ़ कर रही है।

अग्रिम चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता:

अग्रिम चेतावनी प्रणाली आपदा जोखिम न्यूनीकरण का एक प्रमुख घटक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2015-2030 के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क द्वारा निर्धारित सात वैश्विक लक्ष्यों में से एक बहु-जोखिम, अग्रिम चेतावनी प्रणाली और आपदा जोखिम जानकारी की उपलब्धता में वृद्धि करना है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को इस रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है – "समय पर और सार्थक चेतावनी सूचना उत्पन्न करने और प्रसारित करने के लिए आवश्यक क्षमताओं का सेट, जो व्यक्तियों, समुदायों और संगठनों को खतरे की आशंका को तैयार करने और नुकसान की संभावना को कम करने के लिए उचित और पर्याप्त समय में कार्य करने में सक्षम बनाता है।" अग्रिम चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं में निर्दिष्ट की गई है :

- भारत, बांग्लादेश के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित देश है और बाढ़ के कारण वैश्विक मौत की संख्या का पांचवां हिस्सा भारत से है।
- जलविद्युत परियोजनाएं आम तौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित होती हैं। इन जलविद्युत परियोजनाओं पर भूस्खलन, बादल फटना, फ्लैश बाढ़, भूकंप, हिमस्खलन, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड और लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लड आदि जैसी कई प्रकार की आपदाओं की आशंका बनी रहती है।
- हाल के वर्षों में, हिमालयी क्षेत्र में कई आपदाएं देखी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप निचले क्षेत्रों में अचानक बाढ़ आ गई और कई लोगों की जान चली गई । जान माल के नुकसान के अलावा जलविद्युत परियोजनाओं और अन्य बुनियादी ढांचे को भी क्षति पहुंची है।
- अग्रिम चेतावनी प्रणाली लोगों को बाढ़ के दौरान प्रतिक्रिया करने का समय देती है। स्थानीय प्रशासन और लोगों को बाढ़ से पहले ही स्थान को खाली करने या वैकल्पिक आश्रय देने में सक्षम बनाती है।

अग्रिम चेतावनी प्रणाली को जीवन और आजीविका को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उच्चतम स्तर पर तेजी से पहचाना जा रहा है और ऐसी प्रणालियों का समर्थन करने के लिए राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों द्वारा अधिक से अधिक निवेश किया जा रहा है।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में अग्रिम चेतावनी प्रणाली: बांध सुरक्षा अधिनियम 2021, अध्याय VIII, राजपत्र अधिसूचना के खंड 35 में कहा गया है कि प्रत्येक निर्दिष्ट बांध अधिकारी का कार्य है कि-

- अच्छी तरह से डिजाइन किए गए जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क और एक अंतर्वाह पूर्वानुमान प्रणाली स्थापित करें।
- बांध के डाउनस्ट्रीम के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली स्थापित करें।
- उपरोक्त में निर्दिष्ट गतिविधियों की कार्यप्रणाली का समय-समय पर परीक्षण करना या परीक्षण करवाना।
- ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण स्थापित करना जिनका पहले से परीक्षण किया जा चुका हो ताकि बांध की सुरक्षा और डाउनस्ट्रीम में लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
- बाढ़ की चेतावनी और बांध के अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम की ओर व्यक्तियों और संपत्ति पर इसके प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, सहित अधिकतम प्रत्याशित जलप्रवाह की जानकारी संबंधित जिला अधिकारी को उपलब्ध कराएं और जलाशयों के संचालन से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराएं।

सरकार द्वारा, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 में अग्रिम चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम – ईडब्ल्यूएस) को शामिल करना इसकी आवश्यकता एवं महत्व को दर्शाता है और इसके उचित समय पर कार्यान्वयन पर जोर देता है।

विद्युत मंत्रालय/ केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा की गई पहल:

फरवरी, 2021 के दौरान पर्वतीय क्षेत्र चमोली जिले में हुई प्राकृतिक आपदा जैसी आपदाओं के प्रभावों को कम करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा मार्च, 2021 में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने जुलाई, 2021 में विभिन्न बैठकों के बाद "पहाड़ी क्षेत्रों में अग्रिम चेतावनी प्रणाली पर निर्णय लेने के लिए समिति की रिपोर्ट" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति ने अपनी रिपोर्ट में अग्रिम चेतावनी प्रणाली के लिए कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव दिया हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सुझाव दिया कि आमतौर पर समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित परियोजनाओं या जो बेसिन में पहले स्थित हैं, उन्हें संवेदनशील माना जा सकता है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 47 परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों को संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया है जिसमें चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की 2 परियोजनाएं और एनएचपीसी लिमिटेड की 2 परियोजनाएं तथा 8 पावर स्टेशन शामिल हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अग्रिम चेतावनी प्रणाली के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है। अग्रिम चेतावनी प्रणाली की मानक संचालन प्रक्रिया को सभी विकासकर्ताओं को कार्यान्वयन के लिए भेजा जा चुका है।

एनएचपीसी में अग्रिम चेतावनी प्रणाली:

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने बैरास्यूल पावर स्टेशन, चमेरा-III पावर स्टेशन, निम्मो बाजगो पावर स्टेशन, किशनगंगा पावर स्टेशन, चुटक पावर स्टेशन, धौलीगंगा पावर स्टेशन, सेवा-II पावर स्टेशन, रंगित पावर स्टेशन, सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना और पार्वती-II जलविद्युत परियोजना को संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया है। एनएचपीसी लिमिटेड की परियोजनाओं के अलावा, चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की कीरु जलविद्युत परियोजना और पक्कलदुल जलविद्युत परियोजना को भी संवेदनशील श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है।

एनएचपीसी मुख्यालय में ईडब्ल्यूएस के लिए मास्टर कंट्रोल रूम: विद्युत मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम मुख्यालय में अग्रिम चेतावनी प्रणाली के लिए एक मास्टर कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है ताकि अधिक बाढ़ के दौरान प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त समय मिल सके जिससे स्थानीय प्रशासन और लोगों को बाढ़ से पहले स्थान खाली करने या आश्रय देने में सक्षम बनाया जा सके। सीवीपीपीपीएल के पक्कलदुल और कीरू जलविद्युत परियोजना के साथ एनएचपीसी की सभी परियोजनाओं और पावर स्टेशनों की 24X7 निगरानी की जा रही है। व्यापक सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को लागू करके इसे मजबूत और स्वचालित किया गया है। हाल ही में, एनएचपीसी के रंगित पावर स्टेशन, रंगित-IV जलविद्युत परियोजना और सुबनसिरी

लोअर जलविद्युत परियोजना के लिए विकसित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का वर्ष 2022 एवं 2023 की बाढ़ के दौरान, समय पर व्यक्ति और मशीनरी को सुरक्षित करने के लिए सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और चेतावनी

ईडब्ल्यूएस मास्टर कंट्रोल रूम में क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर ई-आभास, क्लाउड होस्टिंग और डेटा स्टोरेज सहित डेटा सेंटर, एसएमएस सुविधा, ईमेल सुविधा, बल्क कॉलिंग सुविधा, व्हाट्सएप सुविधा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उपकरण और चेतावनी प्रणाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की संरचना:

- बांध के अपस्ट्रीम स्थान पर कम से कम 1-2 घंटे के लीड टाइम के साथ स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर और गेज तथा डिस्चार्ज साइट की स्थापना।

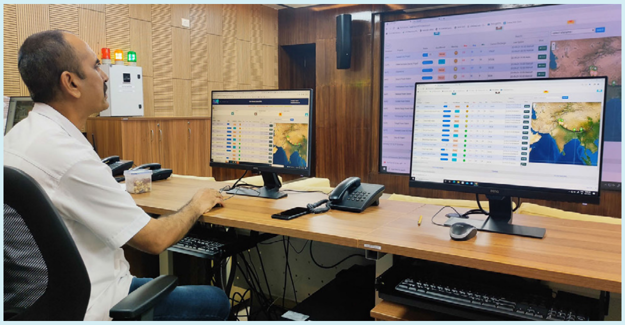

केंद्रीकृत नियंत्रण कक्ष, वीडियो वाल, 24X7 निगरानी के लिए वर्क स्टेशन

- अपस्ट्रीम पावर स्टेशन/ परियोजना के साथ समन्वय।
- बांध नियंत्रण कक्ष में रियल टाइम डेटा की निरंतर निगरानी।
- हूटर और सायरन के माध्यम से परियोजना स्थल पर काम करने वाले सभी हितधारकों/ डाउनस्ट्रीम आबादी और व्यक्तियों को सूचना तथा चेतावनी का प्रसार।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करना और यदि आवश्यक हो तो प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।

अग्रिम चेतावनी प्रणाली में अल्पकालिक उपाय :

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के लिए सभी सूचीबद्ध पावर स्टेशनों/ परियोजनाओं में केंद्रीय नियंत्रण और कमांड स्टेशन स्थापित किया गया है।
- बेसिन में सर्वप्रथम स्थित परियोजना/ पावर स्टेशन में अग्रिम चेतावनी के लिए एक अपस्ट्रीम गेज एवं डिस्चार्ज साइट स्थापित की गई है जिसमें सूचना को मोबाइल फोन, व्हाट्सएप या स्वचालित रूप से टेलीमेट्री (जहां संचालन में है) के माध्यम से दी जा रही है।
- कैस्केड में स्थित परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों के लिए अपस्ट्रीम पावर स्टेशन के साथ समन्वय स्थापित किया गया है।
- संबंधित परियोजना के बीच कमांड और ईडब्ल्यूएस के नियंत्रण केंद्र को बाढ़ की तैयारी और चेतावनी के लिए सूचना के त्वरित प्रसार के लिए एक इंटरएक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। परियोजना और मुख्यालय (प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा अभिकल्प एवं अभियांत्रिकी विभाग) के अधिकारी ईडब्ल्यूएस ग्रुप का हिस्सा हैं ताकि परियोजना अधिकारियों को आने वाली बाढ़ के लिए तैयार रहने और प्रबंधन करने में मदद मिल सके।
- भारतीय मौसम विभाग, जिला और बेसिन के अनुसार 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान और नाउकास्ट के साथ अग्रिम चेतावनी जारी करता है। भारतीय मौसम विभाग अपने एमओएसडीएसी पोर्टल में दो दिनों के लिए भारी वर्षा का पूर्वानुमान भी जारी करता है। मानसून अवधि के दौरान ऐसी चेतावनी और अपडेट

के लिए नियमित रूप से आईएमडी वेबसाइटों की जांच करके सभी पावर स्टेशनों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है और इन अपडेट को नियमित रूप से व्हाट्सएप ग्रुपों में भी भेजा जाता है।

- एनएचपीसी द्वारा सभी पावर स्टेशनों के लिए जलाशय संचालन नियमावली जारी की गई है। इस मैनुअल में आने वाली बाढ़ से सुरक्षित निकलने की सभी मानक संचालन प्रक्रियाएं शामिल हैं।
- केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्षा के अपडेट के आधार पर पूरे भारत में बाढ़ का पूर्वानुमान लगाया जाता है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों के लिए तीस्ता, सुबनसिरी और शारदा बेसिन में इन बाढ़ के पूर्वानुमान का उपयोग किया जाता है। इन बेसिनों में स्थित पावर स्टेशनों को मानसून अवधि के दौरान नियमित रूप से केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट की जांच करके केंद्रीय जल आयोग के पूर्वानुमानों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अवगत कराया जाता है।

दीर्घकालिक उपाय :

- आने वाली बाढ़ की अग्रिम जानकारी के लिए सभी पावर स्टेशनों/ परियोजनाओं में अपस्ट्रीम गेज और डिस्चार्ज साइटों को स्वचालित जल स्तर रिकॉर्डर के साथ-साथ सभी मौसम संचार प्रणाली (टेलीमेट्री) के साथ मजबूत किया जा रहा है। कैस्केड वाले पावर स्टेशनों के लिए आने वाली बाढ़ की अग्रिम सूचना अपस्ट्रीम के पावर स्टेशन से प्राप्त की जाती है।
- एनएचपीसी भूस्खलन, हिमस्खलन, हिमनद झीलों आदि से संबंधित इनपुट के लिए रक्षा भू-सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर, राष्ट्रीय भू-भौतिकीय अनुसंधान संस्थान आदि जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ सहभागिता करने की प्रक्रिया में भी है।

अग्रिम चेतावनी प्रणाली से लाभ:

एनएचपीसी की परियोजनाओं/पावर स्टेशनों में वर्तमान समय तक अग्रिम चेतावनी प्रणाली से कई परियोजनाओं में जान-माल के नुकसान से बचाया गया है। वर्ष 2022 एवं 2023 में रंगित परियोजना में आई बाढ़ के दौरान, वर्ष 2022 एवं 2023 में सुबनसिरी परियोजना में अचानक पानी बढ़ने के दौरान, वर्ष 2023 में चिनाब नदी पर स्थित कीरू परियोजना में आई बाढ़ के दौरान, अग्रिम चेतावनी प्रणाली के मास्टर कंट्रोल रूम द्वारा समय से चेतावनी जारी करने की वजह से परियोजना में कार्य कर रहे हजारों कर्मचारियों/अधिकारियों एवं करोड़ो की मशीनरी को समय रहते सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया जिससे इन परियोजनाओं को जान-माल के नुकसान से बचा लिया गया। इस तरह के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि अग्रिम चेतावनी प्रणाली के माध्यम से, जिसमें मात्र कुछ लाख का निवेश होता है, करोड़ों रुपयों का बचाव किया जा सकता है। एनएचपीसी द्वारा स्थापित अग्रिम चेतावनी प्रणाली एवं मास्टर कंट्रोल रूम को समय-समय पर विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इत्यादि द्वारा प्रशंसा मिली है।

निष्कर्षः

बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है और मनुष्य आदिकाल से ही इसका सामना करता आ रहा है। लेकिन जब घटनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं या बाढ़ आ जाती है तो ये आपदाएं जीवन के लिए खतरा और विनाशकारी हो सकती हैं। संवेदनशील क्षेत्रों का जोखिम ज्ञान, डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, संचार और राहत कार्य अग्रिम चेतावनी प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं। अधिकांश आपदा निगरानी अनुप्रयोगों में आधुनिक तकनीकी के माध्यम से ऐसी प्रणालियों को साकार किया जा सकता है ताकि प्रभावित लोगों को पहले से चेतावनी दी जा सके और कीमती जान बचाई जा सके। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है। इसे पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता लेकिन प्रभावी रूप से क्रियान्वित अग्रिम चेतावनी प्रणाली से इसके नुकसान को कम किया जा सकता है।

•••••••••

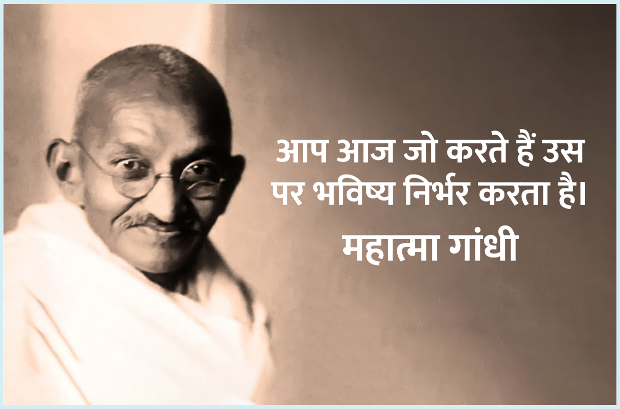

हिंदी साहित्य

हिंदी के मुहावरे

'दिल्ली अभी दूर है'
अर्थ - काम में अभी और कसर बाकी है।
प्रोजेक्ट कुछ हद तक तो तैयार हो चुका है, लेकिन दिल्ली अभी भी दूर है।

'आसमान से गिरा खजूर में अटका'
अर्थ - एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंसना।
मोहन जंगल में भालू से तो बच गया पर उसके सामने अचानक से शेर आ गया।

'अन्धेर खाता'
अर्थ - मुँह माँगा दो, फिर भी चीज खराब। यह कैसा अन्धेर खाता है।

'उल्लू सीधा करना'
अर्थ - अपना काम निकलवाना।
दफ्तर में बॉस की खुशामद कर रमेश ने अपना उल्लू सीधा कर ही लिया।

'फूले न समाना'
अर्थ - अधिक खुशी का अनुभव
आईआईटी में पास होने की खबर सुनकर मोहित फूला नहीं समा रहा था।

'आटे के साथ घुन भी पिसता है'
अर्थ - किसी दोषी के साथ निर्दोष का फंस जाना।
अब दोस्त गुनाह करेगा तो उसके साथी से भी तो पूछताछ होनी है। ऐसे मामलों में अक्सर आटे के साथ घुन भी पिसता है।

हिंदी की लोकोक्ति

बाड़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे
अर्थः रक्षक का भक्षक हो जाना।

बाप बड़ा न भइया, सब से बड़ा रूपइया
अर्थः धन ही सबसे बड़ा होता है।

बाप न मारे मेढकी, बेटा तीरंदाज़
अर्थः छोटे का बड़े से बढ़ जाना।

बाप से बैर, पूत से सगाई
अर्थः पिता से दुश्मनी और पुत्र से लगाव।

बारह बरस पीछे घूरे के भी दिन फिरते हैं
अर्थः एक न एक दिन अच्छे दिन आ ही जाते हैं।

बीमार की रात पहाड़ बराबर
अर्थः खराब समय मुश्किल से कटता है।

बुढ़ापे में मिट्टी खराब
अर्थः बुढ़ापे में इज्जत में बट्टा लगना।

बुढ़िया मरी तो आगरा तो देखा
अर्थः प्रत्येक घटना के दो पहलू होते हैं – अच्छा और बुरा।

लिखे ईसा पढ़े मूसा
अर्थः गंदी लिखावट।

अंधे के आगे रोवे, अपना दीदा खोवे
अर्थः मूर्खों को सदुपदेश देना या उनके लिए शुभ कार्य करना व्यर्थ है।

उसी की जूती उसी का सिर
अर्थः किसी को उसी की युक्ति (वस्तु) से बेवकूफ बनाना।

ऊंची दुकान फीके पकवान
अर्थः जिसका नाम तो बहुत हो, पर गुण कम हो।

ऊंट के गले में बिल्ली
अर्थः अनुचित, अनुपयुक्त या बेमेल संबंध विवाह।

हिंदी के समोच्चारित शब्द के भिन्न अर्थ

अचार - आम, नीबू आदि का
आचार - आचरण

अमित- अधिक, बेहद
अमीत -शत्रु

अचल - पर्वत
अचला - पृथ्वी

अब्ज - कमल
अब्द - बादल

पायक - दूत
पावक - अग्नि

हिंदी के विलोम शब्द

शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम	शब्द	विलोम
कटु	मधुर	सृष्टि	प्रलय	आगे	पीछे	आदि	अनादि
श्रेष्ठ	अधम	अधम	उत्तम	कड़वा	मीठा	संभव	असंभव
विषाद	आह्लाद	अधिकतम	न्यूनतम	ईश्वर	अनीश्वर	आस्तिक	नास्तिक
पतन	उत्थान	अनुराग	विराग	आस्था	अनास्था	अनुज	अग्रज

शब्द: अनुशीलन

समानार्थी शब्द	पारिभाषिक शब्दावली अंग्रेजी से हिंदी	
अंगद : भुजबंध, बाजूबंद, बलीकुमार, बालिपुत्र	Letter of Intent	आशय पत्र
	Operating Expenses	परिचालन लागत
इंसान: मानव, आदमी, मनुष्य, मानुष	Capital Expenditure	पूंजीगत व्यय
	Authenticated	अधिप्रमाणित
उजला: उज्ज्वल, सफ़ेद, धवल, श्वेत	Securitization	प्रतिभूतिकरण
	Supervision Body	पर्यवेक्षण निकाय
गाथा: कहानी, कथा, दास्तान, किस्सा	Restricted Holiday	प्रतिबंधित अवकाश
	Child Care Leave	शिशु देखभाल छुट्टी
गुमराह: भ्रांत, विपथगामी, विभ्रांत, पथभ्रष्ट	Pre Revised Pay	संशोधन पूर्व वेतन
	Order of Preference	अधिमान्यता क्रम

कार्यालयीन टिप्पणियां

मामले का संक्षिप्त इतिवृत्ति इस प्रकार है	A brief history of the case is as follows
संक्षिप्त नोट नीचे रखा है	A brief note is placed below
मामले का संक्षिप्त सारांश नीचे रखा है	A brief summary of the case is placed below
निपटाए गए मामलों की सूची नीचे रखी है	A list of cases disposed of is placed below
उपरोक्त संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए	Above resolution be published in gazette of India
यथाग्राह्य छुट्टी प्रदान कर अनुपस्थिति को विनियमित किया जाए।	Absence may be regularized by grant of leave admissible
बिना अनुमति के छुट्टी	Absence without permission
स्वीकृति की प्रतीक्षा है	Acceptance is awaited
शर्त सहित स्वीकृति	Accepted conditionally
विसंगति को दूर/समाधान कर लिया जाए	Discrepancy may be reconciled
शीघ्र कार्रवाई करें	Expedite action
इसे अति आवश्यक समझा जाए	May be treated as urgent
कृपया बैठक की कार्यसूची/कार्यवृत प्रस्तुत करें	Please put up a agenda/minutes of the meeting
सक्षम/नियंत्रक प्राधिकारी को सादर प्रस्तुत	Submitted for competent/controlling authority
कृपया नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मामले की पुनः जांच करें	Please re-examine with reference to latest instruction
लघुत्तम दरें स्वीकार की जाएं	Lowest quotation may be accepted
सुझाव मान लिया जाए	Suggestion may be accepted
मामले की जांच की जा रही है।	Case under investigation

सामाजिक विकास से देश का उत्थान – एक दृष्टिकोण

कुमार शिवम, वरिष्ठ प्रबंधक (यांत्रिकी)
सीईपीएम विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

मैं एक टेक्नोक्रेट हूं जिसने प्रबंधन में डिग्री प्राप्त की है एवं वर्तमान में एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में कार्यरत हूं। भविष्य के 20 वर्षों में हमारी महान मातृभूमि के विकास के लिए मैं आपके साथ कुछ अंतर्दृष्टि साझा करना चाहता हूं। मेरी नज़र में हम इस देश का भाग्य केवल देश के मानव संसाधन (140 करोड़ लोग) के विकास एवं लोगों की मानसिकता के द्वारा बदल सकते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारी वैज्ञानिक शक्ति ने हमारी आध्यात्मिक शक्ति को जकड़ लिया है। हमारे पास निर्देशित मिसाइल और गुमराह लोग हैं। हम सभी के पास सबसे परिष्कृत गैजेट यानी दिमाग है किन्तु हम उसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते। यही हमारा मुख्य अभिशाप है।

इसलिए हम सभी को भारत के भविष्य यानि बच्चों पर कार्य शुरू करना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि एक पथभ्रष्ट व्यक्ति या माता-पिता सुपर जीनियस प्रतिभाशाली बच्चों का मार्गदर्शन या पालन-पोषण कैसे कर सकते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बच्चे केवल कोरी सलाह नहीं सुन सकते और उससे सीख भी नहीं सकते! यह असंभव है। इसलिए अपने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर व्यक्ति को पहले खुद को ठीक करना होगा या बदलना होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि विस्तार ही जीवन है और संकुचन मृत्यु है। प्रबुद्ध बच्चों के निर्माण और एक महान भारत के निर्माण के लिए हम सभी को जीवन की अपनी धारणा का विस्तार करना होगा। बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। बच्चे बीज की तरह होते हैं, हमें हर रोज उन्हें पानी देना पड़ता है ताकि एक दिन वे समाज की सेवा करने के लिए एक पूर्ण विकसित इंसान बन सकें।

यदि आपका बच्चा अत्यधिक नकारात्मक, अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट दुनिया में रहता है, तो उसका पालन-पोषण एक बहुत ही पेचीदा और कठिन काम हो जाता है। आपको उन्हें समय तथा ऊर्जा देनी होगी ताकि वे टीवी, मोबाइल, पर्यावरण के नकारात्मक प्रभावों में न फंस सकें। हमें जीवन में मूल्यों को अधिक से अधिक विकसित करना होगा ताकि वे किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित न हों। यह बहुत बड़ा और कठिन विषय है। हमें अपनी ताकत उन्हें देनी होगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले खुद को मजबूत और महान इंसान बनाना होगा। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे परमप्रिय दिवंगत राष्ट्रपति डॉ. कलाम ने एक किताब में लिखा था कि एक लाख बच्चों के सर्वे में से मात्र 3% ही बताते हैं कि उनके आदर्श माता-पिता हैं। यह बहुत दुख की बात है कि माता-पिता मानक के अनुरूप नहीं होते हैं या वे बच्चों को उचित समय नहीं देते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि समाज को बदलने वाले मुख्य व्यक्ति माता-पिता, शिक्षक और बच्चे हैं। किसी प्रसिद्ध दर्शन में कहा गया है कि

“एक वयस्क को ठीक करने की तुलना में एक उपयुक्त बच्चे का निर्माण करना आसान है।”

हमें डॉ. कलाम और स्वामी विवेकानंद जैसे लाखों लोगों की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि हर व्यक्ति में असीम संभावनाएं होती हैं। बस उसे पहचानना होगा और अपने भाग्य को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। प्राचीन काल के महान प्रबंधन गुरु चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने भाग्य को बदलने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करने का मार्गदर्शन किया। चाणक्य, सुकरात, प्लेटो, अरस्तू के मार्गदर्शन ने अतीत में महान हस्तियों का निर्माण किया है। बच्चों का भविष्य बनाने में सबसे ज्यादा योगदान मां का होता है। 50% आबादी महिलाओं की है। उन्हें पहले स्वयं को बदलना होगा फिर बदलाव के लिए जन आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत से इसे हासिल किया जा सकता है। हम सभी के पास एक दिन में 86400 सेकंड होते हैं। इसी समय में कुछ लोग बड़े संगठन या देश चलाते हैं जबकि अन्य छोटी-छोटी नौकरियां पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। इसके लिए हमें प्रभावी समय प्रबंधन करना होगा।

डॉ. कलाम ने एक बार कहा था कि जीवन एक अलग ही खेल है जिसे आप व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर ही जीत सकते हैं। प्राणी को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है जो सफलता के लिए आवश्यक है। हम सभी को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकनिष्ठ समर्पण के साथ प्रयत्न करना होगा। हम सभी को सपने देखने होंगे क्योंकि सपने विचार में बदल सकते हैं और विचारों को कार्य में बदला जा सकता है।

भारत में लोगों का एक बड़ा हिस्सा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जैसे किसी भी संगठन में काम कर रहा है। हम सभी के साथ समस्या यह है कि एक बार जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम नई चीजों को सीखने के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। हमारे समाज में अधिकांश लोग किताबें पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन किताबें आत्मज्ञान के लिए आध्यात्मिक पावर हाउस के समान होती हैं। मेरी अपील है कि अपनी रुचि की पुस्तकों का अध्ययन करें। अपने वर्क प्रोफाइल का अध्ययन करें और अपने आप को अद्यतन करें। और साथ ही अपने आस-पास के व्यक्ति को अद्यतन करें। इस तरह हम आसानी से पूरे देश के विकास के लिए एक श्रृंखला बना सकते हैं।

हमारा पूरा भारत स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। हम एक राष्ट्र के रूप में स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य, परिवार के स्वास्थ्य का बहुत ही कुशल तरीके से ध्यान रखता है, तभी वह कुशल तरीके से अपने शरीर, मन, ऊर्जा और भावना पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। एक और बात जो मैं साझा करना चाहता हूँ वह यह है कि हमें बूढ़े माता-पिता की देखभाल करनी चाहिए। अब, जहां इस वैश्विक दुनिया में माता-पिता ने अपने बच्चों के पालन- पोषण में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, वहीं बच्चे पढ़-लिखकर मां-बाप को घर पर छोड़ देते हैं। हम बहुत अकेलेपन और असुरक्षा के साथ एकल परिवार वाले समाज में रह रहे हैं। इस लेख के माध्यम से मैं सभी व्यक्तियों और माता-पिता से एक साथ रहने का आग्रह करता हूँ। इस ग्रह पर माता-पिता के पास बहुत कम समय बचा है, उन्हें अपने पोते-पोतियों के साथ रहना है और अपने विशाल अनुभवों से उन्हें लाभान्वित करना है।

•••••••••

रामधारी सिंह 'दिनकर'

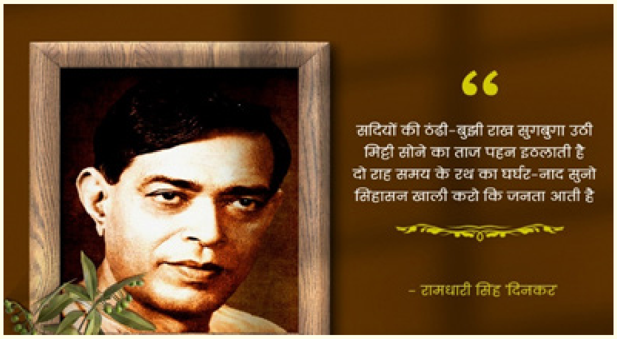

रामधारी सिंह 'दिनकर' हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। 'दिनकर' स्वतत्रंता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतत्रंता के बाद 'राष्ट्रकवि' के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओ में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रान्ति की पुकार है तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है।

जीवन परिचयः दिनकर जी का जन्म 24 सितंबर, 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में एक सामान्य किसान 'रवि सिंह' तथा उनकी पत्नी 'मनरूप देवी' के पुत्र के रूप में हुआ था। दिनकर दो वर्ष के थे, जब उनके पिता का देहावसान हो गया। परिणामत: दिनकर और उनके भाई-बहनों का पालन-पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर का बचपन और कैशोर्य देहात में बीता, जहां दूर तक फैले खेतों की हरियाली, बांसों के झुरमुट, आमों के बग़ीचे और कांस के विस्तार थे। प्रकृति की इस सुषमा का प्रभाव दिनकर के मन में बस गया, पर शायद इसीलिए वास्तविक जीवन की कठोरताओं का भी अधिक गहरा प्रभाव पड़ा।

शिक्षाः संस्कृत के एक पंडित के पास अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हुए दिनकर जी ने गांव के 'प्राथमिक विद्यालय' से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की एवं निकटवर्ती बोरो नामक ग्राम में 'राष्ट्रीय मिडिल स्कूल' जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था के विरोध में खोला गया था, में प्रवेश प्राप्त किया। यहीं से इनके मनोमस्तिष्क में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होने लगा था। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने 'मोकामाघाट हाई स्कूल' से प्राप्त की। इसी बीच इनका विवाह भी हो चुका था तथा ये एक पुत्र के पिता भी बन चुके थे। 1928 में मैट्रिक के बाद दिनकर ने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में बी. ए. ऑनर्स किया। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था।

कार्य क्षेत्रः स्नातक करने के बाद वे एक विद्यालय में अध्यापक हो गए। 1934 से 1947 तक बिहार सरकार की सेवा में सब-रजिस्टार और प्रचार विभाग के उप निदेशक जैसे पदों पर कार्य किया। रेणुका और हुंकार की कुछ रचनाएं यहां-वहां प्रकाश में आईं और अंग्रेज़ प्रशासकों को समझते देर न लगी कि वे एक गलत आदमी को अपने तंत्र का अंग बना बैठे हैं और दिनकर की फाइल तैयार होने लगी, बात-बात पर क़ैफियत तलब होती और चेतावनियां मिला करती। चार वर्ष में 22 बार उनका तबादला किया गया। 1947 में देश स्वाधीन हुआ और वह बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त होकर मुजफ्फरपुर पहुंचे। 1952 में जब भारत की प्रथम संसद का निर्माण हुआ, तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य चुना गया और वह दिल्ली आ गए। दिनकर 12 वर्ष तक संसद-सदस्य रहे, बाद में उन्हें सन् 1964 से 1965 ई. तक भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। लेकिन अगले ही वर्ष भारत सरकार ने उन्हें 1965 से 1971 तक अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया और वह फिर दिल्ली लौट आए।

सम्मानः दिनकर जी को उनकी रचना 'कुरुक्षेत्र' के लिए काशी नागरी प्रचारिणी सभा, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से सम्मान मिला। 'संस्कृति के चार अध्याय' के लिए उन्हें 1959 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें 1959 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। भागलपुर विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति और बिहार के राज्यपाल जाकिर हुसैन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, ने उन्हें डॉक्ट्रेट की

मानद उपाधि से सम्मानित किया। गुरू महाविद्यालय ने उन्हें विद्या वाचस्पति के लिए चुना। 1968 में राजस्थान विद्यापीठ ने उन्हें साहित्य-चूड़ामणि से सम्मानित किया। वर्ष 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया। 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और लगातार तीन बार राज्यसभा के सदस्य रहे।

30 सितम्बर 1987 को उनकी 13वीं पुण्यतिथि पर तत्कालीन राष्ट्रपति जैल सिंह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। 1999 में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी ने उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर रामधारी सिंह 'दिनकर' - व्यक्तित्व और कृतित्व पुस्तक का विमोचन किया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनकी भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। कालीकट विश्वविद्यालय में भी इस अवसर को दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

कृतियां: उन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की। एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना–बाना दिया। उनकी महान रचनाओं में 'रश्मिरथी' और 'परशुराम की प्रतीक्षा' शामिल है। 'उर्वशी' को छोड़कर दिनकर की अधिकतर रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत है। भूषण के बाद उन्हें वीर रस का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। ज्ञानपीठ से सम्मानित उनकी रचना 'उर्वशी' की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और सम्बन्धों के इर्द-गिर्द घूमती है। 'उर्वशी' स्वर्ग परित्यक्ता एक अप्सरा की कहानी है। वहीं 'कुरुक्षेत्र', महाभारत के शांति-पर्व का कविता रूप है। यह दूसरे विश्वयुद्ध के बाद लिखी गई रचना है। वहीं 'सामधेनी' की रचना कवि के सामाजिक चिंतन के अनुरुप हुई है। 'संस्कृति के चार अध्याय' में दिनकर जी ने कहा कि सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं के बावजूद भारत एक देश है क्योंकि सारी विविधताओं के बाद भी, हमारी सोच एक जैसी है।

•••••••••

बेगूसराय जिले का प्रसिद्ध नौलखा मंदिर

खुद को अभिव्यक्त करें

पूर्वा मैनी, प्रोग्रामर
सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम (जम्मू व कश्मीर)

ब्रह्मांड ने हमें ऐसे संबंध प्रदान किए हैं जो हमें एक दिव्य शांति की ओर ले जाने में मदद करते हैं। कई वर्ष पहले मुझे 'आर्ट ऑफ लिविंग' कार्यक्रम और इस्कॉन के माध्यम से आध्यात्मिकता के अनोखे स्रोत का पता चला। वहां मुझे आनंद का कुछ अलग स्वाद मिला। स्थिर बैठकर, ध्यान करते हुए, जप करते हुए और भक्ति सेवा में खुद के अस्तित्व के आनंद में सराबोर होना तथा विचारों, इच्छाओं और भय से मुक्त मन में स्व की चमक का अनुभव भिन्न था। मैं इसे पर्याप्त पाना चाहती थी।

जब भी कुछ मेरी कमी, चिंता, चोट, अस्वीकृति या परित्याग की भावनाओं को ट्रिगर करती है तो मैं अपने आप में सिमटती चली जाती हूं तथा मौन और शांति से आनंद को पुन: उत्पन्न करती हूं। मैंने अपने सच्चे स्व के प्रतिनिधि के रूप में अवांछित और अप्रिय होने की भावना को देखा है। इसलिए मैंने इसे कभी प्रोत्साहित या व्यक्त नहीं किया। मैंने सोचा था कि ध्यान और जप मुझे मेरी दिव्य स्थिति तक पहुंचने में मदद करेंगे, जहां मैं सभी के लिए बिना शर्त प्यार का अनुभव व्यक्त कर पाऊंगी। पर मैं गलत थी।

मैं अपनी भावनाओं को वश में नहीं कर रही थी बल्कि उन्हें दबा रही थी। मैं मनुष्य बनना सीखने से पहले ही ईश्वर बनने की कोशिश कर रही थी। इस प्रक्रिया में मैं अपने चोट, दर्द, क्रोध और आक्रोश को अपने अस्तित्व के किसी गहरे कोने में जमा कर रही थी जो किसी दिन ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए तैयार था...... और ऐसा हुआ भी।

मैंने इतने वर्षों में सीखा है कि कोई अपनी इच्छाओं और भय को अनदेखा करके उससे आगे नहीं बढ़ सकता है। दूसरों को उनके लिए जिम्मेदार ठहराए बिना, उन्हें स्वीकार करना होगा और जहां आवश्यक हो, उन्हें व्यक्त भी करना होगा। अंतत: हम इंसान हैं और हमें प्यार, सम्मान और सराहना की जरूरत है। अपनी मानवता को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। दिव्यता हमारे अंदर तभी प्रवेश कर सकती है जब हम अपनी भेद्यता/ असुरक्षा को गले लगा लें।

उन रिश्तों को ध्यान में रखें जो आपके जीवन में वास्तव में मायने रखते हैं: पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-बहन वगैरह। ऐसे रिश्तों में भौतिक स्थान, अनुभव, विचार और भावनाओं को साझा करने के रूप में ऊर्जा का आदान-प्रदान होना तय है। जब ऊर्जा का यह आदान-प्रदान होता है तो भावनाएं, इच्छाएं या अस्वीकृतियां होना स्वाभाविक है। क्या होता है जब जरूरतें मेल नहीं खातीं, जब भावनाओं का आदान-प्रदान नहीं होता है या भावनात्मक चोट लगती है? अधिकतर, हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारी भेद्यता को छुपाता है और हमारी सच्ची भावनाओं को ढकता है। हम कारण देते हैं, दबाते हैं, पीछे हटते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं और मूलतः हम संवाद को अवरुद्ध करते हैं या हम पहले की तरह ध्यान और जप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम वह नहीं करते हैं जिसकी इस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है - अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। ऐसा क्यों है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे -

- शायद हम अपनी भावनाओं के संपर्क में हैं ही नहीं।
- हम अपनी भावनाओं को अस्वीकार किए जाने से डरते हैं।
- हम मानते हैं कि भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी का संकेत है।
- हमें लगता है कि भावनाओं को रिश्ते में लाने से एक बड़ी भावनात्मक गड़बड़ी पैदा होती है।

जब हम अपनी भावनाओं और जरूरतों को व्यक्त किए बिना संबंध बनाना जारी रखते हैं तो संबंध अल्पावधि में जीवित रहता है लेकिन दीर्घावधि में, रिश्ते का मूल नष्ट होने लगता है। रिश्ते में प्रामाणिकता की कमी होती है। यह एक रोल प्ले बन जाता है। हम अलग-थलग और दूर महसूस करने लगते हैं। यदि संबंध होता भी है तो नाम मात्र के लिए।

रिश्ते का उद्देश्य क्या है? - मेरे विचार में, रिश्ते मनोवैज्ञानिक दर्पण हैं जो हमें दूसरे इंसान के प्रतिबिंब में हमारी इच्छाओं और भय को देखने में मदद करते हैं। अगर हम जो देखते हैं और उसे पसंद नहीं करते हैं तो हम आईने को तोड़ सकते हैं या उससे दूर भाग सकते हैं लेकिन इससे 'हम कौन हैं' यह नहीं बदलेगा। जबकि कुछ रिश्तों में

सीमाएं निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। ऐसे रिश्ते में जो मायने रखता है, जहां दोनों व्यक्ति व्यक्तिगत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। भावनाओं को साझा करना और सुनना महत्वपूर्ण है।

भावनाओं की अभिव्यक्ति, दूसरे को दोष देना नहीं है। जरूरतों को साझा करना दूसरे व्यक्ति को उनकी पूर्ति के लिए जवाबदेह नहीं ठहराता है। यह केवल हमारी वर्तमान वास्तविकता बताता है। हमारे दुःख को हम किसी से बांटतें हैं ताकि वह (दुःख) बिना किसी न्यायिक के दूसरे इंसान की प्रेमपूर्ण उपस्थिति में ठीक हो सके और कोई रास्ता नहीं। हम केवल उसी से बढ़ते हैं - जिससे हम गुजरते हैं।

संवाद मायने रखता है - दुर्भाग्य से, अधिकांश लोग रिश्तों को लेन-देन की मानसिकता के साथ देखते हैं। खासकर जब कोई नया रिश्ता बनता है। मुझे क्या मिल सकता है? क्या मेरी ज़रूरतें पूरी होंगी? क्या यह एक अच्छा मैच है? क्या इस व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? क्या मैं ऐसे रिश्ते के लिए तैयार हूँ? यह हमारी व्यावहारिक जरूरतों को कैसे पूरा करेगा? जब दिमाग इन सवालों के जवाब नहीं खोज पाता तो रिश्ता जीने का मौका मिलने से पहले ही मर जाता है। एक रिश्ता दो व्यक्तियों के दिल और दिमाग में बसता है। जब वे जो महसूस करते हैं और सोचते हैं उसे साझा करते हैं तो रिश्ता जीवित रहता है। जब वे ऐसा करना बंद कर देते हैं तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है।

रिश्ते में विचार साझा करने और सुनने की संस्कृति बनाना महत्वपूर्ण है। यह नियमित अंतराल पर भावनाओं, जरूरतों और प्रशंसा को साझा करना हो सकता है। ये संवाद ही है जो भावनाओं को मुक्त करने के लिए जगह बनाते हैं।

मैंने अब तक जो साझा किया है वह हमारी मानवता को स्वीकार करने का हिस्सा है। अब आध्यात्मिक नज़रिए से समझते हैं...

सब भगवान की कृपा है। हमारा प्राथमिक संबंध किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं है। यह भगवान के साथ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर को किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है - चेतना, प्रकृति, ब्रह्मांड, प्रेम, दिव्यता, क्राइस्ट, कृष्ण। क्या मायने रखता है कि हम यह महसूस करते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलता है और जो नहीं मिलता है वह भगवान से आता है न कि किसी दूसरे इंसान से।

अगर आपको वह प्यार और समझ मिलती है जो आप अपने साथी से चाहते हैं तो यह भगवान की कृपा है। यदि नहीं मिलती हैं तो यह भी भगवान की कृपा है। अपनी आवश्यकताओं को स्वीकार करना और उन्हें व्यक्त करना ही मानवता है। इनका समर्पण करना दिव्यता है।

मानवता और दिव्यता हमारे अस्तित्व का अभिन्न अंग हैं। सांस लेने और सांस छोड़ने की तरह। एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। जब हम केवल मानवता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अत्यधिक व्यक्तिगत, शिकायती और आलोचनात्मक हो जाते हैं और जब हम केवल दिव्यता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम पाखंडी, भ्रमपूर्ण, उपदेशात्मक और संरक्षक बन जाते हैं। हमें दोनों में संतुलन बनाना सीखना होगा। रिश्ते खुद को देखने और उससे ऊपर उठने के लिए सही आधार हैं। वे हमें हमारी कमजोरियों के संपर्क में लाते हैं और हमें जाने देने का अवसर प्रदान करते हैं। यदि ब्रह्मांड ने हमें ऐसा संबंध प्रदान किया है तो यह कोई संयोग नहीं है। हमें अपने भीतर के टुकड़ों से शांति बनाने के लिए बस यही चाहिए - खुद को समझ कर, उसे ऊपर उठाना।

•••••••••

"मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता, और भाई - चारा सिखाएं।"

– स्वामी विवेकानन्द

आध्यात्मिकता से अंतर्मन को पहचानें

विजय कुमार जोशी
ओ एंड एम विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

पढ़ने से पहले... धीरे से अपनी आंखें बंद करें... मुस्कुराएं... अपना ध्यान अपने हृदय पर लाएं... अपने हृदय की धड़कन को कुछ पल के लिए महसूस करें... अब खुद से एक प्रश्न पूछें... मेरे जीवन मेरे दुःखों का कारण क्या है ?... धीरे से अपनी आंखें खोलें... पढ़ना जारी रखें...

आकांक्षाएं

एक बार एक सेठ ने पंडित जी को घर पर आने का निमंत्रण दिया, पर पंडित जी का एकादशी का व्रत था। पंडित जी नहीं जा सके पर पंडित जी ने अपने दो शिष्यों को सेठ के यहां भोजन के लिए भेज दिया...पर जब दोनों शिष्य वापस लौटे तो उनमें से एक शिष्य दुखी और दूसरा प्रसन्न था ।

पंडित जी को यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, "बेटा क्यों दुखी हो? क्या सेठ ने भोजन सत्कार में अंतर कर दिया?"

"नहीं गुरु जी।"

"क्या सेठ ने आसन में अंतर कर दिया?"

"नहीं गुरु जी।"

"क्या सेठ ने दक्षिणा में अंतर कर दिया?"

"नहीं गुरु जी, हम दोनों को बराबर दक्षिणा दी। 2 रूपए मुझे और 2 रूपए दूसरे को।"

अब तो गुरु जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, "फिर क्या कारण है जो तुम दुखी हो और यह बहुत खुश नज़र आ रहा है?"

तब दुखी शिष्य बोला, "गुरुजी मैं तो सोचता था सेठ बहुत अमीर आदमी है कम से कम 10 रूपए दक्षिणा जरूर देगा पर उसने केवल 2 रूपए दिए इसलिए मैं दुखी हूं...!"

अब दूसरे से पूछा, "तुम क्यों प्रसन्न हो?" तो दूसरा बोला, "गुरु जी मैं जानता था सेठ बहुत कंजूस है। आठ आने से ज्यादा दक्षिणा नहीं देगा पर उसने हमें 2 रुपए दे दिए तो मैं प्रसन्न हूँ...!"

दोस्तों यही हमारे मन का हाल है। संसार में घटनाएं समान रूप से घटती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं से सुख प्राप्त करता है, कोई दुखी होता है, पर असल में न दुख है, न सुख। यह हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है! मन की कामना पूरी न हो तो दुख और कामना पूरी हो जाए तो सुख, पर यदि कोई कामना ही न हो तो आनंद ही आनंद है।

"हम जो भी करते या सोचते हैं या दिल से जिसकी तमन्ना करते हैं, उसके दो परिणाम होते हैं। परिणाम या तो अनुकूल होते हैं या प्रतिकूल परिणाम अनुकूल होने पर हम संतुष्ट हो जाते हैं और उसके बाद हमें और कोई चिंता नहीं रहती। अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा कार्य संपन्न हो जाने पर हम पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं जबकि विपरीत परिणाम होने पर हम विचलित हो जाते हैं।"

•••••••••

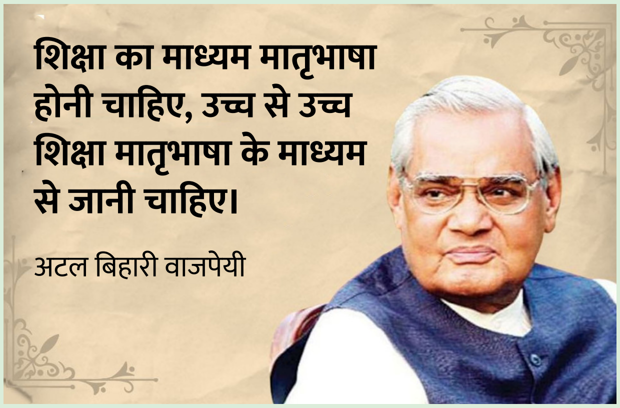

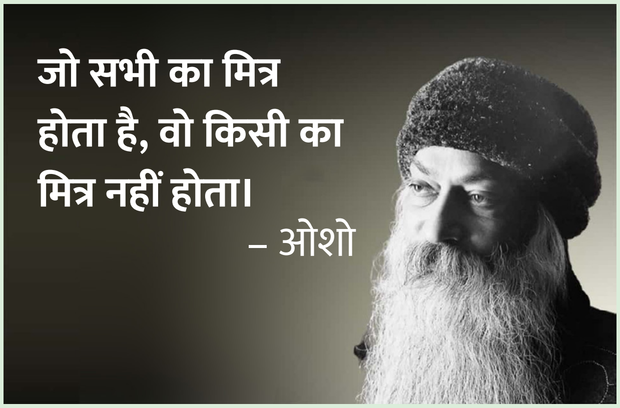

डॉ. देवेन्द्र तिवारी, प्रबंधक (राजभाषा)
राजभाषा विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

हिंदी और भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध

सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के लिए आज हमारा विश्व जिस दौर से गुजर रहा है उसमें कई स्तरों पर बदलाव आए हैं। भूमंडलीकरण के कारण लोगों की सांस्कृतिक,भाषाई और देशज सोच में बहुत परिवर्तन आया है। भारतीय समाज में इसके बदलाव का असर कहीं अधिक देखा जा रहा है जिससे लोगों में मूल्यों से अधिक सुख-सुविधाओं के प्रति अधिक महत्व हो गया है। पैसा जीवन का पर्याय बन गया है। सांस्कृतिक और भाषाई चेतना धीरे-धीरे बदलती जा रही है या फिर गायब होती जा रही है। ऐसे में सांस्कृतिक और भाषाई चेतना को लेकर चिंता का अनुभव किया जाना स्वाभाविक है। जिस प्रकार संस्कृतियों का वर्षों से अंतर-संबंध रहा है, उसी तरह से भाषाओं का भी अंतर संबंध रहा है। आज के समय में हमने इसे गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया। यही कारण है कि हम एक देश में रहते हुए भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर संबंधों को प्रगाढ़ नहीं कर पाए। इसमें सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी रही है। अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता के पूर्व ही इसका जाल तैयार कर लिया गया था और भाषा, जो हमारे जीवन, समाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है उसे राजनीतिक रंग दे दिया गया।

स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद, आज हम हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंधों का अवलोकन करते हैं तो पाते हैं कि यह संबंध सुदृढ़ होने की बजाए कमजोर हो गया है। हिंदी बोलने वाला तमिल, तेलुगू, मलयालम, पंजाबी, उड़िया और अन्य भारतीय भाषाओं की संस्कृति में तैरने के स्थान पर अंग्रेजी के जंजाल में अधिक फंसता चला गया है।

डॉ.फादर कामिल बुल्के का कहना था कि - भारत पहुंचकर मुझे यह देखकर दुख हुआ कि लोग अपनी मातृभाषा हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को अधिक महत्व दे रहे हैं। बहुत से शिक्षित लोग अंग्रेजी पढ़ने और बोलने के कारण अपनी ही भाषा तथा संस्कृति से अभिज्ञ हैं। वे लोग अंग्रेजी बोलना और उसी सभ्यता में ढ़ल जाना अपना गौरव समझते हैं।

हिंदी का स्वभाव और भारतीय भाषाओं का स्वभाव एक जैसा है। किसी भी स्तर पर टकराव नहीं है। फिर क्यों हिंदी विरोध गैर हिंदी क्षेत्रों में यत्र-तत्र देखा जा सकता है।

वास्तव में आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कराया, जिसके पीछे कोई-न-कोई भाषाई तथ्य, व्याकरण और लिपि तथा सांस्कतिक और धार्मिक आधार था। अब अंग्रेजी का खतरा हमारे चारों ओर मंडरा रहा है। इस संकट को महर्षि दयानंद और गांधी जी ने बहुत पहले ही समझ लिया था। अंग्रेजी का खतरा केवल हिंदी के लिए ही नहीं, अपितु अन्य भारतीय भाषाओं पर भी उसी तरह से है। इस संबंध में गांधीजी द्वारा कहा गया "आप और हम चाहते हैं कि करोड़ों भारतीय आपस में अंतरप्रांतीय संपर्क स्थापित करें"। स्पष्ट है कि अंग्रेजी के द्वारा पीढ़ियां गुजर जाने के बाद भी परस्पर संपर्क स्थापित नहीं कर सके।

सात दशक बीत जाने के बाद भी गांधी जी द्वारा कहे गए शब्द भाषाई संकट का अनुभव कर सकते हैं। भाषाई संकट आज भी कहीं गहरा बना हुआ है। इसे भले ही भारतीय षडयंत्र या स्वार्थ का परिणाम बताएं, लेकिन सच यह है कि हिंदी और हिंदीत्तर भाषाओं का अपना भाईचारा कायम रखने में यह सबसे बड़ा बाधक रहा है। अब जबकि, हिंदी का संकट अन्य कई तरह से हमारे सामने प्रकट होने लगा है भारतीय भाषाओं में आपसी भाईचारे का मुद्दा गौण होता जा रहा है ।

ऐसे में डॉ. रामविलास शर्मा जी का यह कथन कितना प्रासंगिक है कि "हिंदी अंगेजी का स्थान ले, इसकी बजाए यह वातावरण बनाना चाहिए कि सभी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का स्थान लें"। हिंदी की व्यापकता का दायरा बढ़ाने में महान कवि और लेखक इसे सर्वसुलभ और सर्वमान्य भाषा बनाने में लगे हुए हैं। इसी तरह अन्य भारतीय भाषाओं को भी हमें सीखना चाहिए।

आज मीडिया का युग है। इंटरनेट के कारण संपूर्ण विश्व एक ग्लोबल गांव के रूप में विकसित होता जा रहा है। ऐसे में हिंदी और भारतीय भाषाओं को एक साथ विश्व स्तर पर स्थापित करने के अवसर अधिक बढ़ गए हैं, लेकिन इसके लिए पूरब-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण का भेद मिटना चाहिए। अंग्रेजी के प्रति मोह रोजगार के कारण बढ़ गया है। उसके स्थान पर हिंदी और भारतीय भाषाओं के प्रति अनुराग को पैदा करना होगा। हिंदी विश्व स्तर पर तब अधिक

प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेगी, जब उसकी अन्य बहनें यानि अन्य भारतीय भाषाओं को भी पूरा सम्मान मिले। स्पष्ट है कि प्रत्येक भाषा के साथ उसकी अपनी संस्कृति भी होती है। यदि भाषा को बचाना है तो उस भाषा की संस्कृति को भी हमें बचाना होगा। अंग्रेजी को यदि भारतीय संस्कृति और सुख का पर्याय बनाना है तो सबसे पहले हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर संबंधों को मजबूत करना होगा। इस घृणित मंसूबे के कारण ही अंग्रेजी का प्रभुत्व लगातार भारतीय चेतना को अवचेतन बनाता रहा है। हम इस संकट को समझने में निरंतर भूल करते आ रहे हैं और इसे समझने की आवश्यकता है। इस सच्चाई को हम कैसे झुठला सकते हैं कि आज भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि जैसे अनेक राज्यों में हिंदी समझने वाले, बोलने वाले ही नहीं, हिंदी में लेखन करने वाले सैकड़ों लेखक-पत्रकार मिल जाते हैं जो हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए पूरे मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। इससे हिंदी की अन्य भारतीय भाषाओं के साथ अंतर संबंधों में मजबूती आ रही है। लेकिन यह आवश्यकता से बहुत कम है या यों कहें कि ऊंट के मुंह में जीरा है। अत: हमें अपनी मातृभाषा-संस्कृति को बढ़ावा देकर आगे बढ़ना होगा। साथ ही हिंदी और भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध अर्थात पारस्परिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करना होगा तभी भाषाई एकता स्थापित होगी।

•••••••••

कविता

इक्षिता कुमार, सुपुत्री- धर्मेंद्र कुमार,
उप महाप्रबंधक (विद्युत)
ओ एंड एम विभाग, निगम मुख्यालय

चांद की चांदनी है कविता मयकदो की रानी है कविता,
ये केवल साहित्य नहीं ना मात्र शब्दों की माला,
कविता छंदों का श्रृंगार है भावों की श्रृंखला है कविता।

सुरों की मिठास है कविता आलम-ए-एहसास है कविता,
ये केवल विरह गीत नहीं ना मात्र किसी की फरियाद,
कविता सपनों की उड़ान है आकाश की बाज़ी है कविता।

भावों की झील है कविता मुसाफिरों की मंज़िल है कविता,
ये केवल कवि कल्पना नहीं ना मात्र रात का ख्वाब,
कविता जिंदगी की सच्चाई है बातों की गहराई है कविता ।

भवरें की गूंज है कविता बरसात की बूंद है कविता,
ये केवल बागों की कलियां नहीं ना मात्र बहारों की शान,
कविता तो शीतल स्पर्श है मन - ओ - हर्ष है कविता।

वास्तव में कविता क्या है? कविता वो लौ है जो,
जीवन में चिराग़ जला दे गम -ए -उल्फत मिटा दे,
और रूह को सुकूं दिला दे ।

धर्मेन्द्र सिंह कुशवाहा
सहायक राजभाषा अधिकारी
किशनगंगा पावर स्टेशन, बांदीपोरा
(जम्मू व कश्मीर)

व्यंग्य

आजादी की राजनीति या राजनीति की आजादी

जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, हमारा सौरमंडल आकाशगंगा में चक्कर लगा रहा है, हमारी आकाशगंगा जाने किस का चक्कर लगा रही है, ठीक उसी प्रकार हम भी चक्कर लगा रहे हैं। कुछ समय के हर अंतराल के बाद हम ठीक उसी जगह पहुंचते हैं लेकिन कभी कुछ ऊपर और कभी उससे कुछ नीचे।

आज़ादी पाने के बाद से हम यही तो करते आ रहे हैं। लोकतंत्र की घुमावदार सीढ़ियों में चढ़ना उतरना, घूमते रहना, कभी आगे और फिर कभी पीछे लौटते रहना हमारी नियति बन गई है। स्वतंत्रता पाने के बाद आज़ादी फली फूली तो है लेकिन ज्यादातर नेताओं के गलियारों में ही। गरीब जनता तो हरी दूब को ही कल्प वृक्ष समझ कर अघा रही है।

लेकिन नेताशाही और गरीब जनता की उपलब्धियों के बीच छत्तीस का आंकड़ा क्यों है ? "आ-जा-दी" शायद इसलिए हमने आज़ादी पाने की कीमत पूरी नहीं चुकाई हमें अनुग्रह में तो नहीं मिली ? हमें कृपा पूर्वक शर्तों के साथ बटाई में प्राप्त हुई। भूल गए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना होता है। दीन-हीन भाव से हमें क्या वह सब कुछ दे सकती है जिसे पूरी कीमत चुका के ही पाया जा सकता है। इसीलिए हम आज उस चौराहे पर खड़े हैं जो आज़ादी और स्वतंत्रता के रास्ते को जोड़ता है। लगता है हम अपनी निष्ठा को अभी तक किश्तों में ही चुकाते चले आ रहे हैं।

न तो धर्म में लोकतांत्रिक अनुशासन है न राजनीति में। चारों ओर अराजकता का अनुशासन व्याप्त है। जनता के दुख दर्द दूर करने के लिए नहीं, हर कोई अपने कल्याण के लिए दौड़ रहा है। एक राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री, चन्द सांसद और विधायक सदन को भंग करने या सरकार गिराने की अहमियत रखते हैं। जनता के भले के लिए नहीं, अपने या अपनी पार्टी के निहित स्वार्थ को पूरा करने की खातिर।

राजनीतिक दलों की नीतियां अक्सर जनविरोधी ही होती हैं। नारों और प्रवचन को सुनकर लगता है कि जैसे वे जनता के हर दुख दर्द को दूर कर देंगे पर असल में, जैसी वे दिखती हैं वैसी होती नहीं है। लोकतंत्र पर स्वार्थ, धर्म, जाति हावी रही है और आज भी बदस्तूर जारी है। यहां नौकरशाही का आचरण किसी जनतांत्रिक देश की शासन व्यवस्था जैसा नहीं बल्कि सामंती तानाशाहों की तरह होता है। यहां जनता द्वारा नकारे गए नेता पिछले दरवाजे से उसी सदन में पहुंच जाते हैं जहां जनता के भाग्य के फैसले होते हैं। ऐसे में हम सिर्फ लोकतंत्र की सही हैसियत का अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। क्या इसे सही ईमानदार जनतांत्रिक व्यवस्था कहा जा सकता है?

यही नहीं, लोकतंत्र का दम भरने वाले राजनीतिक दलों की नीतियां, सिद्धान्त, हमारे नेताओं के गुण लोकतांत्रिक नहीं हैं। अधिकांश राजनीतिक दलों और नेताओं की राजनीति, धर्म, जाति, बिरादरी और निहित स्वार्थ के आधार पर चल रही है। पर मजे की बात यह है कि ऐसे दल और नेता अपनों का भी भला नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी बैसाखी लगाकर वे अपनी रोटियां सेकते हैं।

आज़ादी के इतने दशकों के बाद भी धर्म, निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता पर देश का बहुमूल्य श्रम और समय जाया हो रहा है। हमारे समाज के उस शर्मनाक चरित्र की ही यह बहस है जो सालों से चल रही है जिसे अपनाने या त्यागने के लिए खींचातानी चल रही है।

•••••••••

- सबसे उच्च कोटि की सेवा ऐसे व्यक्ति की मदद करना है जो बदले में आपको धन्यवाद कहने में असमर्थ हो।
- आप दूसरों को बदलना चाहते हैं ताकि आप आज़ाद रह सकें। लेकिन ये कभी ऐसे काम नहीं करता, दूसरों को स्वीकार करिए और आप मुक्त हैं।
- हमें पता होना चाहिए कि भाग्य भी कमाया जाता है और थोपा नहीं जाता। ऐसी कोई कृपा नहीं है जो कमाई ना गई हो।

– महर्षि दयानन्द सरस्वती

साइबर अपराध से बचने के कारगर तरीके

विपिन चंद भट्ट, सहायक प्रबंधक (आई. टी.)
पार्बती-II जलविद्युत परियोजना, नगवई (हिमाचल प्रदेश)

आज के डिजिटल युग में हर किसी व्यक्ति की जिंदगी डिजिटल इकॉनमी से प्रभावित है। जिस गति से डिजिटाइजेशन, कैशलेस लेनदेन, सोशल नेटवर्किंग पूरे संसार में अपने पांव पसार रही है, एक आम आदमी की जिंदगी में इन सबसे एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आज हम अपने सारे बैंक अकाउंट, वित्तीय लेनदेन, सोशल मीडिया अकाउंट, निजी एवं सवेंदनशील ईमेल सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से संभाल रहे हैं। परंतु क्या हम यह सोचकर शांति से सो सकते हैं कि हमारा यह सारा ऑनलाइन डाटा सुरक्षित हाथों में है। क्या हम यह कह सकते हैं कि इस सारे डिजिटल डाटा को अनाधिकृत लोगों के हाथ में पहुंचने से बचाने के लिए एक पुख्ता सुरक्षा तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है? अगर नहीं तो फिर ये डिजिटल संसार हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है जिसे कहते हैं 'साइबर अपराध,' जिसका शिकार कहीं भी, कभी भी, कोई भी हो सकता है चाहे एक व्यक्ति, कंपनी, सरकारी तंत्र या फिर एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी इत्यादि ही हो।

अब बात आती है कि साइबर अपराध किस तरह से होता है? साइबर अपराध में कुछ अपराधिक प्रवृत्ति के लोग प्राय: आपका कम्प्यूटर या फिर मोबाइल को एक्सैस करने की कोशिश में लगे रहते हैं जिससे कि कोई ऐसी सवेंदनशील जानकारी उनके हाथ लग जाए जिससे आपका बड़ा नुकसान हो जाए। आज के युग में इस तरह से किसी भी व्यक्ति, बैंक, कंपनी या सरकार इत्यादि से सबंधित सवेंदनशील जानकारी चुराने के लिए इंटरनेट एक मुख्य जरिया है। भारतीय कानून के अनुसार, साइबर अपराध कई तरह के हो सकते हैं मसलन हैकिंग, ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, साइबर स्टाकिंग (पीछा करना), आइडेंटिटी थेफ्ट (पहचान चुराना), साइबर फ्रॉड, वाइरस अटैक, साइबर डिफ़ेमैशन (बदनाम), साइबर आतंक इत्यादि।

जहां तक बड़ी – बड़ी कंपनियों कि बात है उनके पास साइबर अपराध या साइबर सेक्योरिटी से निपटने के लिए विशेषज्ञों की बहुत बड़ी फौज होती है जो साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए लाखों खर्च करते हैं, क्योंकि जरा सी भी चूक कंपनी को करोड़ो का नुकसान पहुंचा सकती है और यह भी सच है कि बड़ी-बड़ी कंपनी ही साइबर अपराध का लक्ष्य भी होती हैं। परंतु इन बड़ी-बड़ी कंपनियों की साइबर सुरक्षा के साथ-साथ एक आम आदमी की साइबर सुरक्षा को नजरअंदाज़ नहीं कर सकते।

आज के समय में जहां हमारी सारी ख़रीदारी ऑनलाइन तरीके से एवं डिजिटल पेमेंट के माध्यम से हो रही है, ऐसे में डिजिटल लेन-देन बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हमें लाखों का चूना लगा सकती है।

यदि हम व्यक्तिगत तौर पर प्रतिदिन कुछ सावधानियां अपने जीवन में अपना लें तो हम डिजिटल संसार में होने वाले साइबर अपराध से अपने आपको बचा सकते हैं। कुछ प्रमुख सावधानियां निम्नलिखित हैं।

1. आपका पासवर्ड जितना मजबूत होगा उतना ही सुरक्षित आपका अकाउंट होगा। जैसे कि आपके घर का ताला जितना मजबूत होगा ठीक उतना ही सुरक्षित आपका घर होगा। पासवर्ड सेट करते समय हमें लोअर केस, अपर केस अल्फाबेट, डिजिट (नंबर) एवं स्पेशल कैरक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने पासवर्ड को समय-समय पर बदलते रहें और यदि आपको लगता है कि आपका पासवर्ड चोरी हो गया है अर्थात् उसे कोई अन्य व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो हर किसी को बताने की जगह उसको सही तरीके से बदलने की कोशिश करें। पासवर्ड सेट करने के लिए कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल न करें। मसलन अपना या फिर परिवार के सदस्य का नाम, जन्म तिथि, शादी की सालगिरह इत्यादि की तारीख का इस्तेमाल न करें।

2. आपसे आपकी जानकारी चुराने के लिए फिशिंग एक बहुत ही आसान तरीका है आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अनजाने में ही सारी जानकारी एक अनजान व्यक्ति से साथ साझा कर बैठेंगे। अक्सर हमारे पास ऐसे ही कुछ भी मैसेज/ व्हाट्सअप मैसेज आते रहते हैं जिनमे कुछ लिंक होते हैं और अगर हम उन लिंक पर क्लिक करते हैं या उन लिंक्स को इंटरनेट ब्राउज़र पर खोलते हैं तो एक वेबसाइट खुलती है जो बिलकुल असल वेबसाइट जैसी ही दिखती है

जैसे ही आप उसमें लॉगिन करेंगे आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड हैकर के पास पहुंच जाएगा। यहां प्रश्न आता है कि असली एवं नकली वेबसाइट की पहचान कैसे की जाए। इसका एक आसान तरीका है, यूआरएल को ठीक से देखें, एड्रेस की शुरुआत https से होनी चाहिए एवं एड्रैस की शुरुआत में एक ताले का चिन्ह लगा होता है। जैसा कि नीचे दिखाया गया है।

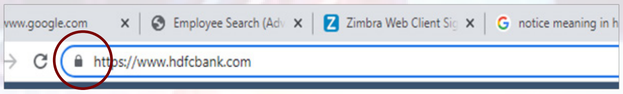

3. अक्सर हमारे पास फ्रॉड कॉल आती हैं। कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आपको बैंक का कर्मचारी बताता है और कहता है कि हमारे क्रेडिट/ डेबिट कार्ड में कुछ समस्या है उसे ही ठीक करने के लिए उसने हम कॉल किया है और हम बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ क्रेडिट/ डेबिट कार्ड का पिन एवं अन्य जानकारी साझा कर देते हैं। इसके तुरंत बाद कुछ ही क्षणों में हमारे अकाउंट से बहुत सारा पैसा ट्रान्सफर हो जाता है। इस तरह के फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक तरीका है कि इस तरह की किसी भी कॉल का जवाब देने के बजाय रिजेक्ट कर दिया जाए और अगर वह व्यक्ति बार-बार कॉल कर रहा है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें।

4. टेलीमार्केटिंग एवं ईमेल स्कैम के जरिए लोगों को ईमेल भेजी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप के पास एक ईमेल या फोन कॉल आएगा कि मुबारक हो आप 10 लाख रूपए जीत गए हैं। पैसा ट्रान्सफर करने के लिए या तो वो आपका डेबिट/क्रेडिट कार्ड पिन मांगते हैं या फिर प्रोसेसिंग फीस के नाम पर पैसा मांगते हैं। पैसों के लालच में हम सब कुछ भूल जाते हैं और उनके साथ जानकारी साझा कर देते हैं और खुद अपनी बेवकूफी की वजह से साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। हमें यहां यह समझना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति क्यों हमे बिना किसी मतलब के लाखों रूपए देगा। यह फ्रॉड कंपनियां हमारे इसी लालच का फायदा उठाकर हमें ठगती हैं।

5. आजकल अस्पतालों, होटल, ऑफिस, एयरपोर्ट इत्यादि कई स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध रहती है और हम बगैर कुछ सोचे समझे झट से फ्री की सुविधा लेने से चूकते नहीं है। फ्री के वाईफाई से हैकर्स भी जुड़े होते हैं जो आपके हर ऑनलाइन मूवमेंट को पूरी तरह से मॉनिटर करते रहते हैं, यहां तक कि आपके यूजर आईडी एवं पासवर्ड भी वो देख सकते हैं।

6. आजकल हम कम से कम दिन के 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं और चंद लाइक्स के लिए अपनी सारी पर्सनल जानकारी एवं मूवमेंट की जानकारी लोगों के साथ बांटते रहते हैं। इस तरह सोशल मीडिया पर हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी देने से बचना चाहिए।

7. सोशल मीडिया पर किसी भी अंजान व्यक्ति से दोस्ती करने से पहले दस बार सोच लें। क्योंकि जब एक बार आपने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली मतलब आपने अपनी बहुत सारी जानकारी उसकी साथ साझा कर ली। अब वो व्यक्ति उस जानकारी को किस तरह इस्तेमाल करेगा आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा।

8. अगर आप घर से दूर कहीं घूमने जा रहे हैं तो पल-पल की जानकारी फोटो के माध्यम से सोशल मीडिया पर एकदम अपलोड न करें बल्कि वापस आने के बाद आराम से फोटो अपलोड करें। इससे एक तो आप आराम से ट्रिप एंजॉय कर पाएंगे तथा अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी सुरक्षित रख पाएंगे।

9. खुद ही नहीं अपने बच्चों को भी इंटरनेट के रिस्क के बारे में शिक्षित करें। बच्चों से बात करें कि इंटरनेट को किस तरह से तथा किस हद तक इस्तेमाल करना है। आप उन्हें यह विश्वास दिलाएं कि अगर बच्चे किसी भी तरह के ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन बदमाशी का शिकार हो रहे हैं तो बिना किसी घबराहट के, मदद के लिए आपके पास आ सकते हैं।

10. अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह के साइबर अपराध के शिकार हुए हैं तो जल्द से जल्द लोकल पुलिस/ साइबर सेल को सूचित करें। अगर अपराध छोटा भी है तब भी सूचित करना आवश्यक है। और अगर साइबर अपराधियों ने आपकी पहचान चुरा ली है अर्थात आपका यूजर आईडी एवं पासवर्ड चुरा लिया है तो बैंक से तुरंत संपर्क करें और अपने साथ हुई धोखाधड़ी के बारे में सूचित करें और इसके साथ-साथ साइबर सेल और लोकल पुलिस को लिखित में सूचित करें। किसी भी तरह के साइबर क्राइम की सूचना के लिए डायल करें 1930 अथवा https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर साइबर क्राइम की जानकारी दें।

•••••••••

विद्युत सुरक्षा

नीरज कुमार, उप प्रबंधक (सेफ्टी)
सेफ्टी विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

पृष्ठभूमि: बीसवीं सदी की शुरुआत के साथ ही विद्युत का आगमन हुआ और आज इसने औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक तस्वीर ही बदल दी है। तेज़ और बड़े पैमाने पर उत्पादन और जीवन की उन्नति विद्युत शक्ति के बिना संभव नहीं हो सकती थी जो अधिकांश मशीनों के लिए प्राइम मूवर्स का प्रमुख स्रोत बन गई है। विद्युत ने जीवन के कई क्षेत्रों को रोशन किया है, जैसे औद्योगीकरण, प्रकाश, ध्वनि, ताप, शीतलन, शिक्षा, कंप्यूटर, परिवहन और कई आवश्यक मानव सुविधाएं। इसका घरेलू उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभिन्न प्रकार के रसोई उपकरणों और अन्य विद्युत उपकरणों ने हमारे आधुनिक जीवन के लगभग हर कोने को छू लिया है। विद्युत के उपयोग के साथ-साथ इससे सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मानव शरीर के साथ इसका संपर्क खतरनाक है और अगर इंजीनियरिंग और अन्य सावधानियों द्वारा इसे ठीक से नियंत्रित नहीं किया गया तो यह घातक साबित हो जाता है।

विद्युत के उपयोग के साथ गंभीर खतरे जुड़े हुए हैं :-

1. विद्युत का झटका 2. विद्युत से जलना 3. आग और विस्फोट

4. इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और कटिंग से होने वाले खतरे

5. स्टेटिक एलेक्ट्रिसिटी के खतरे

उपर्युक्त खतरों की मौजूदगी के कारण विद्युत के उपयोग में सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक हो जाता है।

विद्युत के उपयोग हेतु सुरक्षा प्रणाली:

1. सभी मशीनों/ उपकरणों की उचित अर्थिंग करें। अर्थिंग का नियमित निरीक्षण और रखरखाव ठीक से किया जाना चाहिए।
2. मानक उपकरणों, रबर मैट, शॉकप्रूफ दस्ताने और सेफ़्टी शूज, टेस्टर, रॉड, डिस्चार्ज रॉड, सेफ्टी बेल्ट, हैंड लैंप, लकड़ी, इंसुलेटेड सीढ़ी, फ्यूज पुलर आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।
3. अस्थायी वायरिंग, कार्य में जल्दबाजी व रिस्क लेने से बचें।
4. प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन से विद्युत सबंधित कार्य कराएं।
5. खतरनाक क्षेत्रों में कम वोल्टेज (24 वोल्ट एसी या 110 वोल्ट डीसी) का ही उपयोग किया जाना चाहिए।
6. इंसुलेटेड और टेस्टेड वायरिंग का उपयोग किया जाना चाहिए।
7. किसी भी विद्युत कार्य को शुरू करने से पहले मशीन/ उपकरण का उचित आइसोलेशन किया जाना चाहिए।
8. वर्क परमिट प्रणाली व लॉक आउट टैग प्रणाली का उपयोग करें।
9. सुरक्षा टैग और सुरक्षा चेतावनी बोर्ड का उपयोग करें।
10. किसी भी स्थिति में मशीन/ उपकरणों की ओवर लोडिंग न करें।
11. प्रत्येक विद्युत उपकरणों/ संयत्रों वाले कक्ष में दो निकास द्वार होने चाहिए।
12. विद्युत उपकरणों/ संयत्रों में नमी, धूल और ओवर वोल्टेज के प्रति सावधानियां बरतें।
13. इनडोर स्विच गियर की सुरक्षा के लिए वर्मिन प्रूफिंग करें।
14. स्विच बोर्ड में इलेक्ट्रिक शॉक गार्ड, 3-पिन प्लग और सॉकेट का उपयोग किया जाना चाहिए।
15. सुरक्षात्मक रिले, सर्किट ब्रेकर और रेटेड फ़्यूज़ का उपयोग करें।
16. विद्युत उपकरणों को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए तापमान संवेदनशील अलार्म और सुरक्षात्मक रिले का उपयोग करें।
17. उच्च वोल्टेज, पोलरटी और इन्सुलेशन प्रतिरोध हेतु नियमित परीक्षण किए जाने चाहिए।
18. कार्बन डाई ऑक्साइड टाइप और अन्य अग्निशामक यंत्र विद्युत उपकरणों के समीप रखने चाहिए।
19. विद्युत स्थापनाओं/ उपकरणों तक पहुंचने लिए अग्निशमन दस्ते के लिए अबाधित रास्ता उपलब्ध होना चाहिए।
20. अग्नि सुरक्षा के लिए फ्लेम और शॉक डिटेक्टरों का उपयोग करें।
21. सभी विद्युत प्रतिष्ठानों में रखरखाव एवं हाउस कीपिंग का ध्यान रखें।
22. प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और श्वसन उपकरण हर समय तैयार रखने चाहिए। संबंधित कार्मिकों को कृत्रिम श्वसन का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
23. विद्युत संयत्रों/ उपकरणों/ मशीनों के पास उच्च आर्द्रता व अधिक तापमान न हो। बारिश के मौसम में पूरी सजगता से काम करें।
24. ज्वलनशील/ विस्फोटक क्षेत्रों में फ्लेम प्रूफ उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए।
25. रसायन/ डीजल/ पेट्रोल ले जाने वाली पाइप लाइनों और उपकरणों की अर्थिंग और बॉन्डिंग की जानी चाहिए।
26. विद्युत उपकरणों पर काम करते समय शरीर पर कोई भी धातु का आभूषण नहीं पहनना चाहिए।
27. हमेशा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उचित उपयोग करें।

उपरोक्त उपायों से हम विद्युत से होने वाली दुर्घटनाओं को और उनके दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम कर सकते हैं।

•••••••••

आओ मिलकर देश बनाएं

आओ मिलकर देश बनाएं, सभ्यता और संस्कृति जगाएं,
जो खो गई है अपनी विरासत, उनको फिर से वापस पाएं।
जन-जन में है शोर बड़ा, स्वार्थ मोह घनघोर बड़ा,
माया की लालच में पड़कर, घोटालों में देश पड़ा।
स्वर्ण चिड़िया कहलाने वाला, आज गरीब और है पिछड़ा।
जो आशक्त वह कैसा तन है, जो मैला वह कैसा मन है,
काले धन से भरे तिजोरी, ऐसा धन भी कोई धन है?
हमने मन में ठाना है, इस सोच से ऊपर आना है।
माया मोह का त्याग करें, सच्चाई से आगे बढ़े,
तभी देश का मान बढ़ेगा, उन्नत पथ पर खूब चढ़ेगा।
आओ मिलकर देश बनाएं, सभ्यता और संस्कृति जगाएं।

जात पात का भेद लिए, धर्म ने कूल है बांट दिए,
हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, आपस में सब लड़ते भाई।
ऊंच, नीच और बड़ा छोटा, कौन खरा और कौन है खोटा?
आन, बान और शान में अब तो, इंसा हो गया है छोटा।
न कोई हिन्दू खतरा है, न मुसलमान का खतरा है,
ऊंच, नीच और भेद भाव ने भारत का "पर" कतरा है।
हमने मन में ठाना है, इस सोच से ऊपर आना है,
भूलकर भेदभाव की बातें, आ करें कुछ लगाव की बातें,
धर्म जाति का भेद मिटाएं, इंसानियत को सब अपनाएं।
तभी देश का मान बढ़ेगा, उन्नत पथ पर खूब चढ़ेगा,
आओ मिलकर देश बनाएं, सभ्यता और संस्कृति जगाएं।

अशिक्षा के जालों में पड़कर, विकास राह में बाधा बनकर,
बीमारी का बोझ बढ़ा, बिन इलाज रोगी रोज मरा,
शिक्षा और स्वास्थ्य जरूरी, सफल देश की है यह धुरी,
इन दोनों के आने से ही, जीवन की इच्छा हो पूरी।
हमने मन में ठाना है, इस सोंच को अब अपनाना है,
शिक्षा जीवन का है आधार, इसके बिना जीवन है बेकार।
स्वस्थ, निरोगी निर्मल काया, मानव रखो भली प्रकार,
हर घर शिक्षा दीप जलाए, निरोगी फिर काया पाएं।
तभी देश का मान बढ़ेगा, उन्नत पथ पर खूब चढ़ेगा,
आओ मिलकर देश बनाएं, सभ्यता और संस्कृति जगाएं।

बड़े बूढ़ों का भूले मान, भूल गए अतिथि सम्मान,
जिसने हमको गोद में पाला, उसको हमने घर से निकाला।
समाज अपने आदर्शों को खोता, देख कर अब तो मन है रोता,
हमने मन में ठाना है, इस सोच से ऊपर आना है।
माता पिता का मान बढ़ाएं, अतिथि को फिर देव बनाएं,
बड़े बूढ़ों का प्यार भी पाएं, समाज में इज्जत और नाम कमाएं।
तभी देश का मान बढ़ेगा, उन्नत पथ पर खूब चढ़ेगा।
आओ मिलकर देश बनाएं, सभ्यता और संस्कृति जगाएं।

उत्तम कुमार, समूह वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)
संविदा (सिविल) विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

हिंदी पखवाड़ा समापन / राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह

हिंदी पखवाड़ा-2023 की झलकियां

राजभाषा कार्यान्वयन उपलब्धियां
(2023-2024 अर्धवार्षिक)

1. निगम के माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक श्री राजीव कुमार विश्नोई महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2023 को **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही बैठक** का आयोजन हाइब्रिड रूप में किया गया। इस बैठक में सभी निदेशकगण, निगम मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष तथा निगम की परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ कार्यालयों के प्रभारी भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक में निगम मुख्यालय के सभी विभागों के साथ-साथ परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ संपर्क कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में एनएचपीसी की राजभाषा पत्रिका राजभाषा ज्योति के 42वें अंक का विमोचन माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की उपस्थिति में संपन्न हुआ।

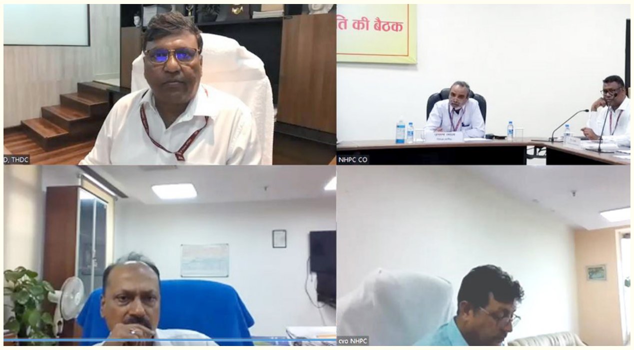

2. श्री कृष्णपाल गुर्जर, माननीय विद्युत एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार ने सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना का दिनांक 12.05.2023 को **राजभाषा प्रगति संबंधी निरीक्षण** किया और निगम में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

3. माननीय **संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति** ने दिनांक 13.05.2023 को अमृतसर, पंजाब में निगम के **परियोजना अन्वेषण कार्यालय, पठानकोट (पंजाब) का राजभाषा निरीक्षण** किया है। इसके उपरांत समिति ने दिनांक 25.05.2023 को देहरादून, उत्तराखंड में टनकपुर पावर स्टेशन (उत्तराखंड) का राजभाषा निरीक्षण किया। समिति ने राजभाषा के क्षेत्र में एनएचपीसी द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की और भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने को निर्देश भी दिए।

4. निगम मुख्यालय तथा परियोजना/ पावर स्टेशन/ कार्यालयों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कुल **02 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन** किया गया। इन कार्यशालाओं में कुल 200 अधिकारी एवं 23 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए।

5. निगम के निदेशक (कार्मिक) श्री उत्तम लाल की अध्यक्षता में दिनांक 07.07.2023 को राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए **हिंदी काव्य गोष्ठी का आयोजन** किया गया। इस काव्य गोष्ठी में निगम मुख्यालय में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। इस काव्य गोष्ठी में सुप्रसिद्ध कवि श्री उपेन्द्र पाण्डेय को भी आमंत्रित किया गया था। काव्य गोष्ठी में श्री लूकस गुडिया, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) तथा श्री प्रिय रंजन, महाप्रबंधक (मानव संसाधन) व प्रभारी (राजभाषा) भी उपस्थित थे।

6. निगम के माननीय निदेशक (तकनीकी) श्री राज कुमार चौधरी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.09.2023 को **राजभाषा कार्यान्वयन समिति वर्ष 2023–24 की** दूसरी तिमाही बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में निगम मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में निगम मुख्यालय के सभी विभागों के साथ-साथ परियोजनाओं/ पावर स्टेशनों/ संपर्क कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई।

7. विद्युत मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 17 अगस्त, 2023 को आयोजित बैठक के अवसर पर माननीय विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी के कर कमलों से **एनएचपीसी लिमिटेड को वर्ष 2021-22 व 2022-23** की अवधि में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विद्युत मंत्रालय की राजभाषा शील्ड योजना के तहत दो वर्षों के लिए **द्वितीय पुरस्कार** प्राप्त हुआ है ।

8. गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 14 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित **अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में** एनएचपीसी के निदेशक (परियोजनाएं) श्री बिश्वजीत बासु सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने **प्रतिभागिता** की।

9. दिनांक 14 सितंबर से 29 सितंबर, 2023 तक निगम मुख्यालय सहित सभी परियोजनाओं, पावर स्टेशनों, एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में **हिंदी पखवाड़े का भाषाई सद्भाव के साथ आयोजन** किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान निगम मुख्यालय में हिंदी प्रश्नोत्तरी, नोटिंग ड्राफ्टिंग, शब्दावली व अनुवाद, भाषण, काव्य पाठ प्रतियोगिताओं और हिंदी पुस्तक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में 550 से अधिक कार्मिकों ने भाग लिया ।

10. निगम में **हिंदी पखवाड़ा 2023 का भव्य समापन समारोह तथा राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।** जिसमें मुख्य अतिथि श्री आर.पी. गोयल, निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) श्री उत्तम लाल ने हिंदी पखवाड़े के सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर निदेशक (तकनीकी) तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी भी उपस्थित थे

11. दिनांक 29 अगस्त, 2023 को जी-20 में हिंदी का योगदान विषय पर एक **ऑनलाइन हिंदी संगोष्ठी का आयोजन** किया गया जिसमें निगम मुख्यालय में पदस्थ हिंदी समन्वयकों तथा क्षेत्रीय कार्यालय/परियोजना/पावर स्टेशन में राजभाषा कार्यान्वयन से संबधित अधिकारियों ने प्रतिभागिता की।

12. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, फरीदाबाद** के सदस्य कार्यालयों **के लिए 02 हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन** किया गया। इन कार्यशालों में नराकास सदस्य कार्यालयों के कुल 77 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

स्वप्निल राज, प्रोग्रामर (आई. टी.)
बीआरआरपी, पटना (बिहार)

मोटा अनाज यानि श्रीअन्न

हमारे जीवन का आधार "तमसो मा ज्योतिर्गमय" है जो हमें बताता है कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ें। पूरी सृष्टि में इसी प्रकाश से अंधियारा मिट जाता है, जब सूर्य की किरणें धरती को प्रकाशमान करती हैं। हमारे जीवन का आधार यही सूर्य की ऊर्जा है और यही ऊर्जा हमारे खाद्य कृषि उत्पाद में संग्रहित होती है। अनाज खाद्य कृषि उत्पाद हैं, जो हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। अथर्ववेद के अनुसार अन्न ही सभी प्राणियों के जीवन का आधार है। अनाज के बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। अनाज में 'मोटा अनाज' एक महत्वपूर्ण अनाज है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही उल्लेखनीय स्थान है। मोटा अनाज को "श्री अन्न" तथा 'मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है।

'श्री अन्न' केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। भारतीय परंपरा से परिचित लोग इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि जहां "श्री" होता है, वहां समृद्धि के साथ-साथ समग्रता भी होती है। अब "श्री अन्न" भी भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है। इससे गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। "श्री अन्न" देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार, देश के करोड़ो लोगों के पोषण का कर्णधार, समाज का सत्कार, कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार, केमिकल मुक्त खेती का बड़ा आधार है और जलवायु बदलाव की चुनौती से निपटने में मददगार है।

ये अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में भी उगाए जा सकते हैं। धान और गेहूं की तुलना में मोटे अनाज के उत्पादन में पानी की खपत बहुत कम होती है। इसकी खेती में यूरिया और दूसरे रसायनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं। कई प्रकार के रोगों को ये ठीक करने में सहायक होते हैं।

मोटा अनाज/श्री अन्न के अंतर्गत दस फसलें शामिल है :-

▸ ज्वार	▸ चीना
▸ बाजरा	▸ कोदो
▸ रागी (मड़ुआ)	▸ कुटकी (लघु धान्य)
▸ सावां (सामा)	▸ कुट्टू
▸ कंगनी	▸ जौ

ये फसलें सीमांत और असिंचित भूमि पर उगाई जाती हैं। इनकी उपज स्थायी खेती और फसल विविधिकरण को प्रोत्साहित करती है। मोटे अनाज को 'गरीबों का अनाज' भी कहा जाता है।

दानों के आकार के आधार पर मोटे अनाजों को दो भागों में बांटा गया है। पहला बड़े दाने वाला मोटा अनाज जिसमे ज्वार और बाजरा आते हैं, दूसरा लघु अनाज – जिसमें बहुत छोटे दाने वाले मोटे अनाज आते हैं जैसे – रागी, सावां, चीना, कोदो, कंगनी, कुट्टू।

ये सभी उपरोक्त मिलेट्स सुपरफूड हैं। इनके फायदे बेमिसाल हैं। मिलेट में सभी तरह के विटामिन, मिनरल के साथ-साथ प्रचुर मात्रा में डायट्री फाइबर होता है जो कई बीमारियों से हमारी रक्षा करता है।

1) ज्वार : ज्वार हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज्वार में थायमिन, राइबोफ्लेविन, फोलेट, नियासिन, कैल्शियम, आयरन तथा अन्य आवश्यक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं जो हमें स्वस्थ रखने में काफी मददगार हैं। ज्वार में उच्च मात्रा में फाइबर होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है।

ज्वार में एंटीओक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो प्लाज्मा एल डी एल को नियंत्रित करता है।

2) बाजरा : बाजरा मिलेट कैलोरी का मुख्य स्रोत है। बाजरे में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फैट, डायट्री फाइबर, सोडियम, आयरन, मैग्निशियम, थाइमिन, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। डायट्री फाइबर ज्यादा होने के कारण बाजरे से वजन कम करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही बाजरे के सेवन से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है।

3) रागी: मोटे अनाजों में से एक महत्वपूर्ण अनाज है। रागी कैल्शियम और पोटाशियम से भरा होता है। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है। रागी के सेवन से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर कंट्रोल होता है साथ ही हड्डियां भी मजबूत होती हैं। यह इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है। रागी से कैंसर की बीमारी के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।

4) सांवा : सांवा या सामा पौष्टिकता से भरपूर एक मोटा अनाज है।

इसमें पर्याप्त प्रोटीन, उच्च फाइबर, बी-विटामिन एवं उपयोगी मिनरल्स पाए जाते है। सांवा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने में महत्वपूर्ण होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में घुलनशील और अघुलनशील पाचक रेशे होते है जो कब्ज को कम करते है एवं अच्छे कोलेस्ट्रॉल (एच.डी.एल.) का अनुपात बढ़ाते है जिससे वजन नियंत्रित रहता है।

5) कंगनी: कंगनी मिलेट में कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते है। इसमें विटामिन बी1 माइक्रो न्यूट्रीएंट्स पाया जाता है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में बहुत कारगर है। इसमें अल्ज़ाइमर का खतरा बहुत कम हो जाता है। कंगनी में मौजूद प्रोटीन और आयरन एनीमिया यानि खून की कमी को पूरा कर देते है। इसके नियमित सेवन से जोड़ो के दर्द, आर्थराइटिस, सूजन के साथ साथ पाचन की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। कंगनी के सेवन से इसमें मौजूद एंटी ऑक्सीडेंट्स से तनाव और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है।

6) चीना: यह मिलेट पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से ब्लड प्रेशर एवं मधुमेह रोग में आराम मिलता है।

7) कोदो: कोदो मिलेट में कई तरह के एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है। इसके साथ ही कोदो में एंटी-एलर्जीक गुण भी होता है।

8) कुटकी: कुटकी के दाने बेहद पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होते है। कुटकी में मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है जो हृदय के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होती है। कुटकी का सेवन हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करता है।

9) कुटटू: कुटटू मिलेट में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह डाइबिटीज़, कार्डिओवैस्कुलर रोगों तथा डाइजेशन की समस्याओं को दूर करता है।

10) जौं: जौं को अनाज का राजा माना जाता है। इसमें मिनरल, विटामिन के साथ कई जरुरी पोषक तत्व पाए जाते है। जौ में बीटा-ग्लुकेन नामक एक खास तत्व पाया जाता है। यह बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के साथ ही हाई बी. पी. की समस्या से राहत पहुंचाने का काम करता है। इसके साथ ही बीटा-ग्लुकेन प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ावा देता है। जौ में डाइट्री फाइबर, पॉलीफेनोल्स, पोलीसैकेराइड्स आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं जो वजन घटाने तथा पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद करता है।

राष्ट्रीय मिलेट मिशन और राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023

पोषक तत्वों से भरपूर मिलेट्स और इसमें शामिल कृषि उद्योगों के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए भारत ने 2023 को राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कदन्न अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत "मिलेट मिशन" का शुभारंभ किया गया था।

भारत ने कभी विपत्तिकाल में अनाज भी आयात किया। उस परिस्थिति से वर्तमान तक की यात्रा आत्मनिर्भरता के संकल्प की यात्रा है। इसी संकल्प के कारण भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को "अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न" वर्ष घोषित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने संदेश में कहा है कि "भारत अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज (मिलेट) वर्ष 2023 के जश्न को आगे बढ़ाएगा और पौष्टिक अनाज की खेती एवं सेवन को बढ़ावा देने के लिए अभियान चलाएगा।" जिस मोटे अनाज की वकालत भारत वर्षों से कर रहा है और जिसे "श्री अन्न" की संज्ञा दी गई है, उसे विश्व भर में लोकप्रिय बनाने का कार्य भारत के प्रयासों से हो रहा है।

मोटा अनाज /मिलेट्स/श्री अन्न की विशेषताएं :

1) मिलेट फाइबर, प्रोटीन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत होते हैं। जैसे – बाजरा में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है तो रागी कैल्सियम से भरपूर होती है।
2) मिलेट्स में लौह तत्व और अन्य खनिजों की मात्रा भी उच्च होती है।
3) मिलेट्स शरीर में स्थित अम्लता (एसिड) दूर करता है। एसिडिटी के शरीर में कई नुकसान होते हैं।
4) मोटा अनाज/मिलेट्स में विटामिन बी3 होता है जो शरीर में मेटाबोलिज्म की प्रक्रिया को ठीक रखता है।
5) ये टाइप 1 एवं टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में सक्षम है। मिलेट्स थाइराइड, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर, लिपिड रोग और अग्न्याशय से संबंधित रोगों में लाभदायक है क्योंकि यह मेटाबोलिक सिंड्रोम दूर करने मे सहायक है।
6) आज भूखमरी और कुपोषण भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व

की समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में मोटे अनाजों को कुपोषण रोकने के एकमात्र उपाय के रूप में देखा जा रहा है। ये अनाज प्रोटीन, डायट्री फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज़, फॉस्फोरस, पोटैशियम और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं हैं। इन अनाजों को दैनिक भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

7) मिलेट्स ग्लूटन फ्री और कम ग्लाइसीमिक इंडेक्स होने के साथ ही साथ प्रोटीन, फाइबर और विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे ये डायबिटीज, कैंसर और हाई ब्लड प्रेशर आदि रोगों से बचाते हैं। इसके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने और मोटापा कम करने में भी बहुत मददगार होते हैं।

8) मोटा अनाज में एंटी आक्सीडेंट तत्व होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स के प्रभाव का कम करते हैं।

इस प्रकार मोटे अनाज (मिलेट्स) में पोषण संबंधी सुरक्षा में योगदान देने की बहुत क्षमता है।

भारत, दुनिया में मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, आंध्र

प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में किसान बड़े स्तर पर मोटे अनाज की खेती करते हैं। असम और बिहार में सबसे ज्यादा मोटे अनाज की खपत होती है। केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारें भी मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए “मिलेट मिशन” योजना शुरू कर रही है। इसके तहत मिलेट उगाने वाले किसानों को इनपुट सहायता और तकनीकी जानकारी दी जाती है। भारत मोटे अनाजों यानि कि मिलेट्स का हब है। भारत में इसके उत्पादन को बढ़ाकर देश को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स उत्पादन के क्षेत्र में शोध कार्य बढ़ाने के लिए देश में मिलेट्स रिसर्च सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 05 मार्च 2021 को वर्ष 2023 को ‘अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष’ (इंटरनेशनल मिलेट ईयर) घोषित किया गया है। इसलिए सरकार विशेष रूप से इनके उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रही है।

यूं तो मिलेट्स के फायदे ही फायदे हैं लेकिन अगर भारत मिलेट्स उत्पादन का वैश्विक केंद्र बन गया तो कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से वृद्धि होगी। क्योंकि वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही साथ किसानों की आय में भी क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा, इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरण को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे जिससे देश में बेरोज़गारी भी कम होगी।

आयुष मंत्रालय के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भी मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि, ‘आज हम देखते हैं कि जिस भोजन को हमने छोड़ दिया उसको दुनिया ने अपनाना शुरू कर दिया। जौ, ज्वार, रागी, कोदो, सामा, बाजरा, सांवा, ऐसे अनेक अनाज कभी हमारे खान-पान का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन ये हमारी थालियों से गायब हो गए। अब इस पोषक आहार की पूरी दुनिया में मांग है।’

इस तरह मोटा अनाज / श्री अन्न / मिलेट्स को अपना कर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर ही हम अपने समाज तथा देश की उन्नति कर सकते हैं। मोटा अनाज के उत्पादन, खपत, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर ही हम वैश्विक खाद्य और पोषण सुरक्षा, किसानों की समृद्धि और धरती माता के पुनरूद्धार में अपना योगदान दे सकते हैं।

• • • • • • • • •

पंकज प्रसून, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत)
डिज़ाइन (ई एंड एम), निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

पवन ऊर्जा - स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत

परिचय:

पर्यावरणीय क्षरण के प्रति बढ़ती चिंता ने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में दुनिया की रुचि बढ़ा दी है। पवन ऊर्जा व्यावसायिक और परिचालन रूप से सबसे व्यवहार्य नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और तदनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के संदर्भ में सबसे बड़े स्रोतों में से एक के रूप में उभर रहा है।

पवन ऊर्जा - यह क्या है?

पवन भूमि या समुद्र के पार हवा की प्राकृतिक गति है। पवन पृथ्वी की सतह के असमान ताप और शीतलता तथा पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होती है। भूमि और जल क्षेत्र, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा की अलग-अलग मात्रा को अवशोषित और छोड़ते हैं। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए दौड़ती है, जिससे स्थानीय हवाएं चलती हैं। पृथ्वी के घूमने से वायु के प्रवाह की दिशा बदल जाती है।

बुनियादी तकनीक :

पवन विद्युत जनरेटर रोटर, गियरबॉक्स और जनरेटर का उपयोग करके हवा में उपलब्ध गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

मूल प्रक्रिया :

हवा पवनचक्की जैसी मशीन के ब्लेडों को घुमा देती है। घूमने वाले ब्लेड उस शाफ्ट को घुमाते हैं जिससे वे जुड़े होते हैं। टर्निंग शाफ्ट आम तौर पर या तो एक पंप को बिजली दे सकता है या जनरेटर को चालू कर सकता है, जो बिजली पैदा करता है। अधिकांश पवन मशीनों में ब्लेड एक क्षैतिज शाफ्ट से जुड़े होते हैं। यह शाफ्ट गियर की एक श्रृंखला के माध्यम से शक्ति संचारित करता है जो पानी पंप या विद्युत जनरेटर को शक्ति प्रदान करता है। इन्हें क्षैतिज अक्ष पवन टर्बाइन कहा जाता है।

ऊर्ध्वाधर अक्ष मशीनें भी हैं, जैसे डैरियस पवन मशीन, जिसमें ऊर्ध्वाधर शाफ्ट पर दो, तीन या चार लंबे घुमावदार ब्लेड होते हैं और आकार में एक विशाल एगबीटर जैसा दिखता है।

पवन मशीन द्वारा उत्पादित ऊर्जा की मात्रा, हवा की गति और मशीन में ब्लेड के आकार पर निर्भर करती है। सामान्य तौर पर, जब हवा की गति दोगुनी हो जाती है, तो उत्पादित बिजली आठ गुना बढ़ जाती है। बड़े ब्लेड अधिक हवा पकड़ते हैं। जैसे-जैसे ब्लेड से बने वृत्त का व्यास दोगुना होता जाता है, शक्ति चार गुना बढ़ जाती है।

पवन ऊर्जा क्यों :

1. यह पर्यावरण अनुकूल परियोजना है।
2. पवन ऊर्जा के दोहन के लिए अच्छी पवन क्षमता ।
3. लगातार बढ़ती बिजली की कीमतों के तुलना में एक स्थायी ढाल। पारंपरिक बिजली परियोजनाओं की बढ़ती लागत के मुकाबले समय के साथ प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है।
4. विद्युत ऊर्जा का सबसे सस्ता स्रोत (20 वर्षों में एक समान लागत पर)
5. न्यूनतम इक्विटी भागीदारी की आवश्यकता होती है। साथ ही, पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कम लागत वाला ऋण आसानी से उपलब्ध होता है।
6. सबसे तेज़ भुगतान अवधि वाली परियोजना।
7. सबसे कम अवधि के साथ एक वास्तविक फास्ट ट्रैक बिजली परियोजना और एक मॉड्यूलर अवधारणा।
8. संचालन और रखरखाव लागत कम है।
9. कोई विपणन जोखिम नहीं, क्योंकि उत्पाद विद्युत ऊर्जा है।
10. एक परियोजना जिसमें जनशक्ति में कोई निवेश नहीं है।

पवन विद्युत जनरेटर के मुख्य घटक हैं:

1. टावर, 2. नेकेल, 3. रोटर, 4. गियर बॉक्स, 5. जनरेटर 6. ब्रेकिंग प्रणाली, 7. खुली प्रणाली, 8. नियंत्रक, 9. सेंसर

पवन फार्म निर्माण :

वह क्षेत्र जहां कई पवन विद्युत जनरेटर स्थापित होते हैं। उसे पवन फार्म के रूप में जाना जाता है। पवन के इष्टतम दोहन के लिए पवन फार्म की स्थापना के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं :

1. विशिष्ट स्थल पर उच्च पवन संसाधन
2. पर्याप्त भूमि उपलब्धता
3. उपयुक्त भूभाग और अच्छी मिट्टी की स्थिति
4. परियोजना स्थल पर पहुंचने के लिए उचित मार्ग
5. उपयुक्त पावर ग्रिड की निकटता
6. तकनीकी-आर्थिक चयन
7. वैज्ञानिक ढंग से तैयार किया गया लेआउट

पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के मुख्य लाभ :

1. पूंजीगत लागत पारंपरिक विद्युत संयंत्रों के बराबर है। एक पवन फार्म के लिए, पूंजीगत लागत, टरबाइन के प्रकार, प्रौद्योगिकी, आकार और स्थान के आधार पर 4.5 करोड़ से 6.85 करोड़ प्रति मेगावाट के बीच होती है।
2. निर्माण का समय कम है।
3. ईंधन लागत शून्य है।
4. परिचालन एवं अनुरक्षण लागत बहुत कम है।
5. क्षमता वृद्धि मॉड्यूलर रूप में हो सकती है।
6. वैश्विक पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी प्रणाली प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है।

प्रति वर्ष चार हजार किलोवाट घंटा के औसत उर्जा उत्पादन से विश्व में प्रदूषण में बचत का अनुमान इस प्रकार लगाया गया है :

1. सल्फर -डाइऑक्साइड: 2 से 3.2 टन
2. नाइट्रोजन - ऑक्साइड: 1.2 से 2.4 टन
3. कार्बन-डाईऑक्साइड: 300 से 500 टन
4. पार्टिकुलेट : 150 से 280 किग्रा.

पवन और जीवाश्म ईंधन के बीच तुलना

विवरण	पवन	जीवाश्म ईंधन
उपलब्धता	जैसा अस्तित्व में है वैसा ही प्रयोग करने योग्य है	श्रमसाध्य और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्रक्रियाओं के माध्यम से इसे प्राप्त करना और उपयोग करने योग्य बनाना होगा
उपलब्धता सीमा	अक्षय संसाधन	भंडार सीमित है। आने वाले 60 वर्षों में इसके पूरी तरह ख़त्म हो जाने की उम्मीद है
परिवहन	जहां यह उपलब्ध है वहां उपयोग किया जाता है	पर्यावरण को खतरे में डालते हुए आगे की प्रक्रिया के लिए साइट से ले जाया जाना चाहिए।
उत्पादन में उपयोग	शून्य उत्सर्जन	ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हुए बिजली उत्पादन में उपयोग किया जाता है
भू-राजनीतिक निहितार्थ	तेल पर हमारी निर्भरता कम करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है	एक संसाधन के रूप में तेल पर अत्यधिक निर्भरता ने हमारी ऊर्जा सुरक्षा को कमजोर कर दिया है। जैसे 1973 का ओपेक संकट, 1991 का खाड़ी युद्ध और 2003 का इराक युद्ध।
पर्यावरण	वैश्विक पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। पूरी प्रणाली प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण अनुकूल है।	पर्यावरण प्रदूषित होता है

सीमा :

1. पवन मशीनें वहां स्थापित की जानी चाहिए जहां अधिकांश समय तेज, भरोसेमंद हवाएं उपलब्ध हों।
2. चूंकि हवाएं इतनी तेज़ नहीं चलती कि हर समय बिजली पैदा हो सके। पवन मशीनों से ऊर्जा को "रुक-रुक कर" यानी यह आती और जाती रहती है। इसलिए, पवन मशीनों से बिजली की बैकअप आपूर्ति किसी अन्य स्रोत से होनी चाहिए।
3. चूंकि पवन ऊर्जा "रुक-रुक कर" होती है, इसलिए कंपनियां अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकताओं के केवल एक हिस्से के लिए इसका उपयोग कर सकती हैं।
4. पवन टावर और टरबाइन ब्लेड तेज़ हवाओं और प्रकाश से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। घूमने वाले हिस्से, जो जमीन से ऊंचाई पर स्थित होते हैं, उनकी मरम्मत करना मुश्किल और महंगा हो सकता है।
5. पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित बिजली कभी-कभी वोल्टेज और पावर फैक्टर में उतार-चढ़ाव करती है, जिससे इसकी बिजली को उपकरण प्रणाली से जोड़ने में कठिनाई हो सकती है।
6. घूमने वाली पवन मशीन के ब्लेड से होने वाला शोर आस-पास के पड़ोसियों को परेशान कर सकता है।
7. लोगों ने पवन मशीनों के सौंदर्यशास्त्र और पक्षियों की मृत्यु दर के बारे में शिकायत की है।

हिमांशु अरोड़ा, प्रबंधक (विद्युत)
डिज़ाइन (ई एंड एम), निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

हरित हाइड्रोजन: भविष्य की प्राकृतिक ऊर्जा की ओर एक कदम

संदर्भ

पृथ्वी की ऊर्जा संकट के समय में हमें नए और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता हो रही है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने कई उपाय प्रस्तुत किए हैं और इनमें से एक है – 'हरित हाइड्रोजन।' हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है। हरित हाइड्रोजन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है क्योंकि यह दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करती है। यह एक प्रकार की स्वच्छ ऊर्जा है क्योंकि इसका उपयोग करने से जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय प्रदूषण को कम किया जा सकता है।

हरित हाइड्रोजन क्या है?

हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जल के विद्युत-अपघटन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

विद्युत-अपघटन की प्रक्रिया जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और इस तरह उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ एवं नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है।

उपयोग:

हरित हाइड्रोजन का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। जैसे उच्च ऊर्जा उत्पादन, वाहनों में, उद्योगों में और आवासीय उपयोग। यह एक सुरक्षित और प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्रोत हो सकता है जो न केवल हमारे पर्यावरण को बचाएगा बल्कि नए रोजगार संभावनाओं को भी खोलेगा।

हरित हाइड्रोजन का वितरण

हाइड्रोजन को तरल अथवा संपीडित अवस्था या पाइप लाइन के जरिए वितरित किया जाता है। संपीडित तरल हाइड्रोजन को जमीन और समंदर दोनों के जरिए संचारित किया जाता है। हाइड्रोजन के उत्पादन से लेकर इसके वितरण तक पूरी शृंखला में किसी भी तरह का कोई ऐसा उत्सर्जन नहीं होता है जो किसी भी नज़रिए से खतरनाक हो। इसलिए इसे हरित हाइड्रोजन कहा जाता है।

हाइड्रोजन ईंधन के प्रकार

विभिन्न स्रोतों और प्रक्रियाओं से प्राप्त हाइड्रोजन को विभिन्न रंग के टैब द्वारा वर्गीकृत किया जाता है-

- ब्राउन हाइड्रोजन- कोयले से उत्पादित
- ग्रे हाइड्रोजन- जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन ।
- ब्लू हाइड्रोजन-कार्बन कैप्चर और स्टोरेज विकल्पों के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न हाइड्रोजन ।
- ग्रीन हाइड्रोजन- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलाइज़र का उपयोग करके उत्पन्न हाइड्रोजन ।

हाइड्रोजन ईंधन की सीमाएं

उच्च उत्पादन लागत: वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित

हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महंगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विद्युत-अपघटन की प्रक्रिया (जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिए किया जाता है) के लिए बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है।

अवसंरचना की कमी: वर्तमान में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिए अवसंरचना की कमी है। हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए इसे तरल रूप में परिवर्तित करना पड़ता है और बहुत कम तापमान पर या उच्च दबाव पर गैस के रूप में स्टोर करना पड़ता है। इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइप लाइनों की कमी भी शामिल है।

आर्थिक संवहनीयता: भले ही हाइड्रोजन ईंधन सेल आंतरिक दहन इंजनों की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल हैं फिर भी वे लिथियम-आयन बैटरी की तुलना में कम कुशल है।

हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारतीय प्रयास

- ऑटो के अलावा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और स्टील जैसे क्षेत्रों में

हरित हाइड्रोजन का लाभ उठाने का ठोस प्रयास किया जा रहा है।
- अप्रैल 2022 में, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम में भारत का पहला 99.99 प्रतिशत शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया।
- टाटा मोटर लिमिटेड ने पहले हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का परीक्षण किया।
- अडानी फ्रांस सरकार के सहयोग से "दुनिया का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र" बनाने के लिए प्रयासरत।
- अमेरिकन कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल ने कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन-हाइड्रोजन फैक्ट्री शुरू की है।

•••••••••

दस्तूर

जी हां मैंने इस दुनिया का अजब दस्तूर देखा है,
अपनों के लिए अपनों को मजबूर देखा है।
लंबी कारों में बैठे अमीरों का ऐशो आराम देखा है,
तो वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों को रोने का आयाम देखा है।
जी हां मैंने इस दुनिया का अजब दस्तूर देखा है,
अपनों के लिए अपनों को मजबूर देखा है।।

उंगली पकड़कर जिसने चलना सिखाया,
उसी हथेली को बीच चौराहे पर भीख मांगते हुए देखा है।
जी हां मैंने इस दुनिया का अजब दस्तूर देखा है,
अपनों के लिए अपनों को मजबूर देखा है।।

हल चलाने वाले के परिवार को खुशियों से सरोबार देखा है,
और लाख कमाने वाले के मां-बाप को भूख से मरते हुए देखा है।
जी हां मैंने इस दुनिया का अजब दस्तूर देखा है,
अपनों के लिए अपनों को मजबूर देखा है।।

सच कहता है कवि राकेश, कभी सुखी नहीं रह पाओगे,
मां-बाप की आंखों की चिंगारी से जलकर राख हो जाओगे।
आओ हम सब मिलकर एक अनुष्ठान करें, मां-बाप का सम्मान
करें, दिल में बसा कर रखें सदा, कभी न उनका अपमान करें।

राकेश कुमार प्रसाद,
वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)
बैरा स्यूल पावर स्टेशन, सुरंगानी
(हिमाचल प्रदेश)

कमलेश कुमार, सहायक राजभाषा अधिकारी
राजभाषा विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

मेरी अनुवाद यात्रा

अनुवाद विषय का छात्र होने के साथ- साथ एक कार्मिक होना अनुवाद की ओर मेरे झुकाव का एक प्रमुख कारण रहा है। शुरू-शुरू में अनुवाद सीखने के प्रति मेरा अनुराग अपने कार्यालयी कार्यों में सुगमता लाने के लिए जागृत हुआ। अनेक पत्रों, ज्ञापनों और निर्देशों को आम जनमानस के लिए सहज व सरल बनाने की इच्छा शक्ति ने मुझे अनुवाद सीखने की ओर अग्रसर किया। मैं यह मानता हूं कि यह अनुवाद ही है जो तमाम भाषाओं और बोलियों में विभिन्नता होते हुए भी हमें संगठित करने का प्रयास करता है।

सरकारी संस्थानों, संगठनों और कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अनुवाद अमूमन क्लिष्ट हो जाता है। इसकी वजह यह होती है कि कार्यालय के पत्रों की भाषा विभिन्न नियमों व क़ानूनों को उद्धृत करते हुए लिखी जाती है। जब इन नियमों और क़ानूनों को अनूदित किया जाता है तो यह ध्यान रखा जाता है कि भाषा को सरल बनाने के प्रयास में कहीं इनका मूल अर्थ परिवर्तित न हो जाए ।

बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग हम बोलचाल के रूप में दैनिक जीवन में करते हैं। दैनिक उपयोग के कारण हमें ऐसे शब्द आसान प्रतीत होते हैं किन्तु जब इसके अनुवादित शब्द का प्रयोग होता है तो यह आम बोलचाल में बहुत कठिन प्रतीत होते हैं। जैसे- भारतीय डाक विभाग में उपयोग किया जाने वाला एक शब्द 'Money Order' आम बोलचाल की भाषा में तथा ग्रामीण परिवेश में समझने में जितना आसान है, इसका अनूदित शब्द 'धनादेश' समझने में उतना ही कठिन है।

अनुवाद विषय का पाठन करते समय मेरी उत्सुकता इस बात को लेकर रही कि क्या स्रोत भाषा में मौजूद शैली और भाव लक्ष्य भाषा में भी स्थान बना लेते हैं ? अनुवाद पठन के दौरान मेरे मन में यह बात हमेशा कौंधती रही कि क्या स्रोत भाषा की सामग्री लक्ष्य भाषा में अनुवाद होने के पश्चात पाठक को स्रोत भाषा की ही तरह रोचक लगती है अथवा रोमांचित कर पाती है?

अनुवाद सीखने के दौरान मैंने यह भी सीखा कि किस प्रकार से स्रोत भाषा में उपलब्ध सामग्री का भाषिक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। सामग्री के पात्र व केन्द्रित विषय वस्तुतः व्यक्त क्या करते हैं? वे जीवन की त्रासदी व विडम्बनाओं के दायरे से निकलकर व्यवहारतः कितने सक्षम हैं। मैं यह भी सोचता हूँ कि लक्ष्य भाषा में अनुवादित सामग्री क्या नई वैचारिकी का उद्भव होती है और क्या एक पाठक स्वयं को कृति / सामग्री से जुड़ा हुआ महसूस कर पाता है अथवा नहीं ।

अनुवाद पठन के दौरान मैंने यह जानने का प्रयास किया कि अनुवादक ने मूल स्रोत की शैली और अर्थ को अनुवाद में किस तरह से व्यक्त किया है। ऐसा करते समय किस तरह की चुनौतियों से अनुवादक को जूझना पड़ता है। उसने इनका समाधान किस आधार पर किया ? स्रोत भाषा की सामग्री में समाहित समाज और संस्कृति का स्वरूप अनुवादित भाषा में कैसा है? सांस्कृतिक शब्दों और सामाजिक स्वरूप का अनुवाद किस स्तर पर किया गया है? क्या अनुवादक मूल भाषा में वर्णित संस्कृति और सामाजिक ढांचे को लक्ष्य भाषा में भी चमत्कृत कर पाया है? यदि वह ऐसा कर पाया है तो उसका तरीका किस प्रकार का है। इसके साथ यदि वह ऐसा नहीं कर पाया है तो उसने इस सांस्कृतिक परिवेश के अनुवाद के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

किसी भाषा की विषय वस्तु को मुहावरों के प्रयोग से अलंकृत किया जाता है, जिससे उस भाषा की विषय वस्तु सजीव हो उठती है। वस्तुतः मुहावरे किसी भी भाषा का श्रृंगार होते हैं, जिनका प्रयोग भाषा में प्रभाव लाने के लिए किया जाता है । मुहावरों का अनुवाद करना उतना ही कठिन है जितना मूल भाषा में मुहावरों का प्रयोग करना। इसका कारण यह है कि दो भाषाओं की व्याकरण, संरचना, शब्दार्थ, संस्कृति, रहन-सहन और सामाजिक जीवन आदि सब अलग होते हैं। इन सभी तत्वों का प्रभाव मुहावरों पर पड़ता है। मुहावरे इस लंबी प्रक्रिया के बाद निर्मित होते हैं। इस आधार पर एक भाषा के मुहावरे को दूसरी भाषा में अनुवादित करना सर्वदा कठिन और चुनौती भरा कार्य है ।

आइए, अनुवाद विषय की मधुरता और रोचकता की ओर चलते हैं। अंग्रेजी भाषा में बहुत से ऐसे संयुक्त शब्द होते हैं जिनका हिंदी में शब्दशः अनुवाद हास्यास्पद हो जाता है, क्योंकि उन संयुक्त शब्दों के लिए हिंदी भाषा में पहले से ही शब्द उपलब्ध हैं अतः उनको अनुवादित करना उचित नहीं है। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं- Playing cards- ताश, Dry fruits- मेवे और Depreciation of values के लिए मूल्यह्रास आदि हिंदी भाषा में उपलब्ध शब्द हैं। यदि इनका अनुवाद खेलने के पत्ते, सूखे मेवे और मूल्य का मूल्यह्रास लिखा जाए तो यह अनुवाद की दृष्टि से अशुद्ध है । अनुवाद की समझ विकसित करने के दौरान इस तरह के शब्दों का सही अनुवाद सीखना काफी रोचक और ज्ञानवर्धक है ।

एक परंपरागत अनुवादक के पास अनुवाद में पर्याप्त सहायक स्रोत न होने के कारण स्रोत सामग्री को अनुवादित करने में उसे काफी कठिनाई होती थी। इंटरनेट के दौर से पहले किसी भी छोटे या बड़े शब्द के लिए अनुवादक को मोटे-मोटे और भारी ग्रंथनुमा शब्दकोश पलटने पड़ते थे जिसमें समय और श्रम दोनों अधिक लगते थे। वर्तमान में इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइटों यथा-गूगल अनुवाद, गूगल डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड, शब्दकोश डिक्शनरी आदि के रूप में ऐसे साधन मौजूद हैं जो अनुवाद को काफी सरल बनाते हैं तथा आज की तकनीकी पीढ़ी में अनुवादक के लिए आवश्यकतानुसार किसी शब्द का अर्थ या अनुवाद जानना बहुत ही सुगम करते हैं।

इंटरनेट हो या मोबाइल पर डिक्शनरी, इस तरह के साधन तीव्र व सुगम तो हैं ही, साथ ही इन्हें अपने साथ रखना भी बड़ा आसान है। वस्तुतः पारंपरिक जानकारी में पारंगत होने के साथ-साथ एक अनुवादक से इस दौर में तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी अपेक्षित है।

अनुवाद कार्य के दौरान यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आपको हर शब्द का हिंदी अनुवाद लिखना है। इस दौरान अंग्रेजी भाषा के बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनको जस का तस देवनागिरी में लिपिबद्ध किया जाना स्वीकार्य होता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द निम्न है- डेयरी, ब्रिक्स, अनुसंधान, फार्म, सब्सिडी, मिलियन टन, मिलियन हेक्टेयर, प्रति यूनिट आदि ।

कुछ स्थानों पर अनुवाद के दौरान शब्दशः अनुवाद (शब्दार्थ) की जगह भावानुवाद (भावार्थ) को भी प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए निम्न पंक्ति का अनुवाद देखिये–

“The proper use of methodology can be understood in metaphoric terms with the glass mounted on the frame of a painting. It should protect and support the painting, but not become a hindrance to viewing of the painting.”

“कार्यप्रणाली के समुचित उपयोग को साहित्यिक रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है जैसे- एक पेंटिंग के फ्रेम पर लगा कांच जो पेंटिंग की सुरक्षा और समर्थन के लिए होना चाहिए, न की पेंटिंग को देखने में एक बाधा के रूप में।” अनुवाद के दौरान यह नितांत आवश्यक है कि अनुवाद की प्राथमिक पद्धतियों जैसे- शब्दानुवाद, भावानुवाद, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद, लिप्यंतरण, रूपान्तरण, छायानुवाद आदि का उपयोग किए बिना, अनुवाद कार्य करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।

प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा जी का प्रसिद्ध उपन्यास “चित्रलेखा” हाल के दिनों में मैंने पढ़ा है। इस उपन्यास की कुछ पंक्तियों की अनुवाद बानगी देखिए

“छलकते हुए मदिरा के पात्र को चित्रलेखा के मुख से लगाते हुए बीजगुप्त ने कहा- “चित्रलेखा! जानती हो जीवन का सुख क्या है?”

चित्रलेखा की अधखुली आंखों में मतवालापन था और उसके अरुण कपोलों में उल्लास था ।

Putting the cup of Spilled-wine in the lips of Chitralekha, Beejgupt said - “Chitralekha ! do you know the pleasure of life?”

Chitralekha’s squinty eyes were full of drunkenness and her reddish cheeks were gleeful.

उपरोक्त अनुवाद को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हो सका हूं कि अनुवाद की प्राथमिक पद्धतियों जैसे- भावानुवाद, पूर्ण अनुवाद और आंशिक अनुवाद आदि का किसी अनुवाद कार्य को पूर्ण कराने में अप्रतिम योगदान है।

स्तंभकार मंजुला बिष्ट कहती हैं- ‘सच यह है कि, कोई भी भाषा कभी पूर्ण अनुवादित नहीं होती है, अनुवादक सदैव और अधिक ग्राह्यी होने का अभिलाषी रहता है।

उमेश कुमार सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक (अनुसंधान)
क्षेत्रीय कार्यालय-सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)

अध्यात्म- संस्कृति एवं पर्यावरण

मनुष्य के हृदय में एक कौतूहल आज भी बना हुआ है कि आखिर संसार है क्या? सृष्टि की रचना, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास-क्रम कैसे और किस प्रकार बना और सृष्टि का विनाश कब, कैसे और किस रूप में होने वाला है? युद्ध, महायुद्ध, भूकंप, ओजोन परत में छिद्र या परमाणु विखंडन आदि जैसी घटनाओं से संसार का नष्ट होना निश्चित है? ऐसे प्रश्न पर चर्चा-परिचर्चा विश्व-स्तर पर होती रहती है, लेकिन इस विषय में सभी का समान मत नहीं होने से विषय पर प्रश्नवाचक बना हुआ है।

परंतु विभिन्न विद्धानों, वैज्ञानिकों एवं भविष्य वक्ताओं में संसार की स्थिति, निर्माण और उसके नष्ट होने की तिथि के बारे में मतभेद हो सकते हैं कि वेद, ज्ञान का प्रकाश पुंज है, जिससे ऐसा अखंड, अनंत, अपरिमित ज्ञान बोध होता है जिसको सृष्टि के ऋषियों ने हृदयंगम किया था। वेद, शास्त्र के विद्वान, वेद को सृष्टि विज्ञान के संपूर्ण एवं परिपूर्ण ग्रंथ की मान्यता देने हेतु सर्वसहमत हैं। मनुष्य की उन्नति, प्रगति, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ है या भविष्य में होगा, वह वैदिक विज्ञान के आश्रम से ही संभव है।

विश्व की प्राचीनतम मानव सभ्यता के युग से आधुनिक सभ्यता, संस्कृति एवं वैज्ञानिक आविष्कारों का मुख्यत: आधार भू-मंडल में स्थित प्रमुख चार अवयव - जल, अग्नि, वायु और मृदा हैं। इन चारों वस्तुओं के विषद ज्ञान को वेद कहते हैं।

वेद चार हैं-ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनकी चार अलग-अलग संहिताएं हैं। बिखरे हुए वेद मंत्रों का संकलन करने का कार्य ऋषियों ने संपन्न कर उन्हें संहिताओं में विभाजित किया। भू-मंडल में स्थित चार वस्तुओं में से जल के संबंध में सामवेद में वर्णन किया गया है। सामदेव में जल के इस रूपांतर कार्य तथा गुणों का ज्ञान आदि विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग से सविस्तार उपलब्ध है। ऋग्वेद से अग्नि के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यजुर्वेद में वायु के विभिन्न प्रकार एवं उनके कार्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में मृदा के विभिन्न गुणों के संबंध में जानकारी अवगत हो सकती है। इसी कारण जल, अग्नि, वायु और मृदा को क्रमश: ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद कहा जाता है। प्रत्येक वेद में जल, अग्नि, वायु और मिट्टी पारिभाषिक शब्द हैं और उनसे केवल हमारे इस जल, अग्नि, वायु और मिट्टी का ही तात्पर्य नहीं है, वरन् इन चारों पदार्थों के आदिस्वरूप, प्रकृति की अव्यय अवस्था से लेकर स्थलतम अवस्था तक जितने रूप प्रकारांतर, विभाग इत्यादि बनते हैं, उन सबका जातिवाचक नाम जल, अग्नि, वायु और मिट्टी वेद में निहित हैं। उदाहरण स्वरूप जल से वेद में घृत, मधु, सुरा, जल इत्यादि समस्त जलीय पदार्थों से अभिप्राय है और जल के सूक्ष्म कण जो भाप रूप में आकाश में स्थित हैं, उनको भी जल ही कहकर पुकारता है।

प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति की आदि अवस्था से अन्त्य अवस्था तक पूर्णावलोकन कर प्रत्येक देश में उन देशों की प्राकृतिक रचना को देखकर इन शाखाओं का विस्तृत तथा सक्रम प्रचार किया। उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश में जल और वायु प्रधान होने से विंध्य पर्वत के ऊपर साम और यजुर्वेद का प्रचार हुआ तथा विंध्य से नीचे दक्षिण देश अग्नि और भूमि प्रधान होने से वहां ऋग्वेद तथा अथर्ववेद का प्रचार एवं प्रसार हुआ। इससे स्पष्ट है कि हमारे ऋषि-मुनियों को संसार का जबरदस्त सूक्ष्म एवं विस्तृत ज्ञान था, तभी तो वे परिस्थिति-अनुकूल वेदों का प्रचार करने में सक्षम सिद्ध हो सके।

वेदों का अध्ययन प्राचीनकाल में वेद की आज्ञानुसार ही पर्वतों के शिखर पर अथवा नदियों के संगम पर किया जाता था। ऋक् और अथर्व का अध्ययन पर्वतों पर होता था, कारण कि पत्थर पर जो प्रभाव पड़ता है, वह भी जाना जा सकता है। इससे अग्नि तथा मिट्टी का ज्ञान विशेष रूप से वहां जाना जा सकता है। साम और यजु का अध्ययन नदियों के संगम पर हुआ करता था, इसका कारण भी स्पष्ट है कि दो नदियों के जल-संगम से विभिन्न गुणों एवं शक्तियों की संभावित

संभावनाओं का भी अवलोकन हो सकता है। वायु और जल के संघर्ष से नवीन शक्ति के प्रकट होने की संभावनाएं होती थीं, उसका भी प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन सरलता एवं सुगमता से किया जा सकता है। अग्नि और मिट्टी को वैज्ञानिक एकजातीय समझते हैं। ठीक इसी प्रकार जल और वायु भी एकजातीय हैं।

यजुर्वेद आख्यान में लिखा है कि वैदिक मंत्रों के आधार पर मन द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति क्रम का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक काल के वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के विषय में तथ्यात्मक प्रत्युत्तर देने में असफल हैं कि ईश्वर ने इतने विशाल संसार की रचना कैसे की। जब सृष्टि के आदि में कुछ भी नहीं था तो भला उसका वर्णन कौन कर सकता है? उस काल में न देवता थे और न ही पितृ और न ही मनुष्य। मन और प्राण ही सूक्ष्म अवस्था में उस काल में वहां उपस्थित थे। अतः वेद ने उसी मन की ओर संकेत कर हमें सृष्टि विज्ञान को सही ढंग से जानने व पहचानने का एकमात्र यंत्र दिया है।

अपने मन से यदि हम पूछें कि कौन - सा वन है, उस वन में कौन-सा वृक्ष है, उस वृक्ष में कौन-सी डाली है, जिस डाली को काटकर ईश्वर ने इतने बड़े संसार की रचना की है तो इसका उत्तर वृष्ण यजु. में दिया है कि स्वयंभू वन है, वाक् वृक्ष है, मन उसकी डाली है, जिसको काटकर उस एक शक्ति ने इतना बड़ा संसार बनाया है।

ऋग्वेद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड पांच चक्रों स्वयंभू, परमेष्ठ, सूर्य, पृथ्वी और चंद्र पर आधारित है। प्रत्येक चक्र, सृष्टि, पृथ्वी एवं चंद्र के स्वयंभू मंडल में विलीन हो जाने से प्रलय होती है। जिन शक्तियों और नियमों के आधार पर पांचों चक्र अपने-अपने भार को धारण करते हैं, उन्हें सनातन धर्म कहते हैं क्योंकि ये आदि से अंत तक धारण किए रहता है। धर्म वही है जो प्रकृति के अनुकूल हो और पाप वही है जो प्रकृति के विरुद्ध हो।

भारतीय संस्कृति 'अरण्य संस्कृति' है। वन दार्शनिक एवं रहस्यमय ज्ञान के लिए उपयुक्त स्थल माना गया है लेकिन आज कि भौतिकवादी संस्कृति ने वनों का विनाश द्रुतगति से किया है जिससे कालांतर में सूर्य एवं पृथ्वी को अपने भार को वहन करने की क्षमता क्षीण होती प्रतीत हो रही है। सूर्य की बैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ने पर संभावित संतुलन को क्षति पहुंचने की संभावनाएं प्रबल बनती जा रही हैं। अब हमें प्रकृति के प्रतिकूल आचरण से जलवायु परिवर्तन के खतरों से सावधान होकर परिस्थिति के संतुलन की आवश्यकता है।

जिस पृथ्वी से हमारा जन्म से मृत्यु तक का सह संबंध है, उस पर करुणामय वृत्ति नहीं है। जो पेड़ अपने काटने वाले को भी छाया देता है, उसकी भी कुल्हाड़ी से हत्या अर्थात् हम पर्यावरण को असंतुलित करके निश्चय ही सनातन एवं वैदिक विरूद्ध बनते जा रहे हैं, जिसमें हमारा भविष्य अंधकारमय परिलक्षित हो रहा है। यदि पृथ्वी पर सूर्य की बैंगनी किरणों के आगमन की गति तीव्र हो गई तो पुंडरीकात्मक संसार नहीं रह पाएगा। अतः समय रहते पर्यावरण को संतुलित रखने से ही मानव सुरक्षित रह सकेगा।

मुख्य इनलेट वाल्व स्लाइडिंग फ्लैंज से पानी के रिसाव का प्रबंधन

अमरेन्द्र कुमार चौधरी, महाप्रबंधक (यांत्रिक)

सिद्धार्थ मिश्रा, उप महाप्रबंधक (यांत्रिक)

ओ एंड एम विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

दुलहस्ती पावर स्टेशन में जून-2023 में यूनिट-2 के एमआईवी स्लाइडिंग फ्लैंज से भारी रिसाव देखा गया। इस रिसाव को बंद करने के लिए स्लाइडिंग फ्लैंज का निरीक्षण करना आवश्यक था। इस यूनिट को बंद करने के बाद इसकी डीवाटरिंग की गई। डीवाटरिंग के पश्चात बाईपास पाइप लाइन तथा डाउन स्ट्रीम साइड के बाईपास वाल्व को हटा दिया गया जिससे स्लाइडिंग फ्लैंज के निरीक्षण के लिए पर्याप्त जगह मिल सके।

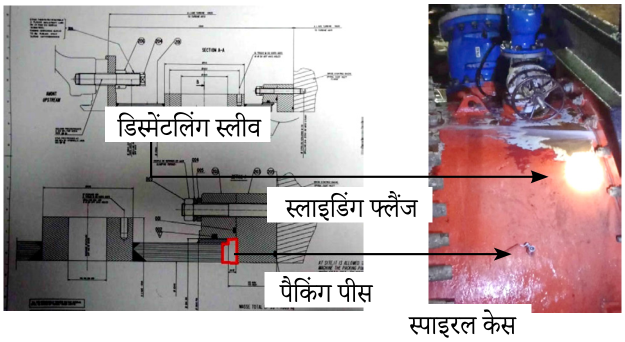

एमआईवी स्लाइडिंग फ्लैंज से पानी का रिसाव

स्लाइडिंग फ्लैंज और डिसमेंटलिंग स्लीव के बीच की परिधि पर फासले को मापा गया। उस जगह को भी चिह्नित किया गया जहां फासला ज्यादा है और वेल्डिंग करनी है।

स्लाइडिंग फ्लैंज को निकालने के लिए, स्लाइडिंग फ्लैंज और स्पाइरल इनलेट स्लीव के बीच 36 नंबर एम-30 स्टड्स को निकाला गया। इन स्टड्स को निकालने के बाद पैकिंग पीस को निकाला गया। फिर स्लाइडिंग फ्लैंज को भी क्रेन से पकड़कर निकाला गया।

पैकिंग पीस का निकलना

स्पाइरल केस और डिसमेंटलिंग स्लीव के बीच के फासले के लिए माप लिया गया। इसके लिए स्पाइरल केस की फ्लैंज पर 8 स्थानों पर एम-30 स्टड रखकर स्लिप गेज और फिलर गेज के साथ स्पाइरल केस स्लीव और डिसमेंटलिंग स्लीव के बीच फासले को मापा गया।

माप के बाद डिसमेंटलिंग स्लीव के क्षतिग्रस्त हिस्से को यथास्थान वेल्ड करने का निर्णय लिया गया। सर्विस बे पर स्लाइडिंग फ्लैंज की (टिग) वेल्डिंग शुरू हो गई। स्लाइडिंग फ्लैंज में जी-सील उस स्थान पर क्षतिग्रस्त और टूटी हुई पाई गई जहां स्लाइडिंग फ्लैंज और डिस्मेंटलिंग स्लीव में क्षति हुई थी।

सर्विस बे पर स्लाइडिंग फ्लैंज की टिग वेल्डिंग (कार्बन स्टील फिलर रॉड-टीआईजीएफआई एल70एस2 और टंगस्टन थोरिअटेड के साथ आर्गन गैस) पूरी की गई।

डिस्मेंटलिंग स्लीव के क्षति वाले हिस्से की टिग वेल्डिंग (स्टेनलेस स्टील फिलर रॉड-ईआर309एल, 2.4 मिमी व्यास, 1000 मिमी लंबाई और टंगस्टन थोरिअटेड के साथ आर्गन गैस) भी पूरी हो गई है।

डिस्मेंटलिंग स्लीव के क्षतिग्रस्त वाले हिस्से की वेल्डिंग के बाद, स्लाइडिंग फ्लैंज (जी सील के बिना) और डाउनस्ट्रीम पैकिंग पीस को डिस्मेंटलिंग स्लीव के साथ असेंबल किया गया। इन सभी हिस्सों को पहले 9 एम-30 स्टड और वॉशर से कस दिया गया। कसने के बाद, फिलर गेज द्वारा डिस्मेंटलिंग स्लीव और स्लाइडिंग फ्लैंज के बीच के फासले को मापा गया। इस प्रक्रिया को मॉक अप असेंबली के नाम से भी जाना जाता है।

वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के बाद डिस्मेंटलिंग स्लीव

डिस्मेंटलिंग स्लीव और स्लाइडिंग फ्लैंज के बीच के फासले को मापने के बाद, माप के आधार पर वेल्डिंग करने वाले क्षेत्र को डिस्मेंटलिंग स्लीव पर चिह्नित किया गया था। चिह्नित क्षेत्र में डिसमेंटलिंग स्लीव की टिया वेल्डिंग की गई।

इन रीडिंग को संज्ञान में रखते हुए स्लाइडिंग फ्लैंज (नई जी-सील और ओ-रिंग के साथ) की असेंबली पैकिंग पीस और डिस्मेंटलिंग स्लीव के साथ की गई। डिस्मेंटलिंग स्लीव स्लाइडिंग फ्लैंज, पैकिंग पीस और स्पाइरल केस स्लीव के बीच सभी एम-30 स्टड को टॉर्क रिंच द्वारा 250न्यूटन-मी टॉर्क पर कस दिया गया था। इसके बाद डिस्मेंटलिंग स्लीव और स्लाइडिंग फ्लैंज के बीच का अधिकतम गैप 2.90 मिमी मिला जो कि संतोषजनक पाया गया ।

इसके बाद एम आई वी के बाईपास पाइप और बाईपास वाल्व की असेम्बली की गई। इसके पश्चात ड्राफ्ट ट्यूब गेट के दोनों एलिमेंट्स को उठाकर मशीन को बैक चार्ज किया गया। इस दौरान डिस्मेंटलिंग स्लीव और स्लाइडिंग फ्लैंज के ज्वाइंट से कोई रिसाव नहीं दिखा । अंततः मशीन को ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ किया गया। सिंक्रोनाइज़ होने के बाद भी डिस्मेंटलिंग स्लीव और स्लाइडिंग फ्लैंज के जोड़ से कोई रिसाव नहीं देखा गया।

•••••••••

गांव की यादें

संजीव कुमार, वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-II
योजना विभाग, निगम मुख्यालय

क्या लिखूं !
सिर्फ लिख देने भर से क्या होगा?
क्या लौट आएंगे वो दिन?
गर्मी की छुट्टियों में गांव को जाना,
कभी टमटम तो कभी बैलगाड़ी की राजसी सवारी,
बागान केले के और उसकी हरियाली,
वो दियारे से चुन चुन भुट्टे लाना,
आम और जामुन की दावत उड़ाना,
चाचा संग गंगा नहाना, चक्की पे जाके गेहूं पिसाना,
वो बारिश की झमझम, मिट्टी का सोन्हापन,
वो बारिश की झपसी, फिर दुपहरी तपती,
वो दसहरे का मेला और मेले का ठेला,
फिर मां की विदाई...फिर उसकी उदासी,
यादों में बस रह गया है ये सब, भुलाए न भूलता है
गांव की कहानी।
ऐ गांव तुम वैसे ही रहना, तुम न बदलना ।
मुझे फिर से आना है... और इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है ।

बांध सुरक्षा

राघवेंद्र कुमार गुप्ता, समूह महाप्रबंधक (सिविल)

थोटा वेणुगोपाल, वरिष्ठ प्रबंधक (सिविल)

डिज़ाइन एवं अभियांत्रिकी विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

बांधों का महत्व:

बांध जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाएं राष्ट्रीय संपत्ति हैं - राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बनाई गई हैं और जिनमें बड़े निवेश और अन्य संसाधन तैनात किए गए हैं। जनसंख्या और आर्थिक विकास में वृद्धि के साथ, टिकाऊ जल विकास और ऊर्जा प्रणाली के लिए सुरक्षित बांधों के निर्माण के साथ पानी और ऊर्जा की उच्च मांगों को पूरा किया जाना है। बांधों की सुरक्षा राष्ट्रीय निवेश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है और लाभ के निरंतर संचय के साथ-साथ किसी भी संभावित खतरे से डाउनस्ट्रीम की रक्षा करने और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए इसकी जांच की जानी चाहिए।

दुनिया भर में बांध और जलाशय दोहरी भूमिका निभा रहे हैं:

1. सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए नदी के पानी का उपयोग करना।
2. दुनिया की एक बड़ी आबादी के सामने आने वाली बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं को कम करना।

बांध और जलाशय पीने और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को भी पूरा करते हैं। कृषि कार्यों के लिए सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन और अंतर्देशीय नेविगेशन आदि।

बांधों के निर्माण से कुछ जोखिम भी होते हैं जैसे विस्थापित समुदायों का पुनर्स्थापन व पुनर्वास, पर्यावरण और वनों पर प्रभाव, तलछटी मुद्दे, सामाजिक-आर्थिक मुद्दे और सुरक्षा पहलू आदि। बांधों के निर्माण से संबंधित उपरोक्त समस्याओं को गतिशील, प्रगतिशील और उत्तरदायी प्रबंधन द्वारा सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है।

भारत में बांध:

पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से बड़ी बिजली परियोजनाओं के निर्माण पर बड़ा जोर दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया के सबसे बड़े बांध निर्माताओं में से एक है। जून 2019 तक, भारत में 5,745 बड़े बांध हैं (जिनमें निर्माणाधीन बांध भी शामिल हैं)। इनमें से 5,675 बड़े बांध राज्यों द्वारा, 40 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा और 5 निजी एजेंसियों द्वारा संचालित हैं। भारत में 15 मीटर से अधिक या 10-15 मीटर की ऊंचाई के बीच के बांध, जो कुछ अतिरिक्त डिजाइन शर्तों को पूरा करते हैं, निर्दिष्ट बांध कहलाते हैं।

भारत में 5334 मौजूदा बड़े बांध हैं जबकि अन्य 411 बड़े बांध निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र 2394 बांधों के साथ सबसे आगे है जबकि मध्य प्रदेश (906) और गुजरात (632) बांधों की संख्या के मामले में दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। भारत के बांधों में सालाना लगभग 300 अरब घन मीटर पानी जमा होता है। ये बांध पुराने हो रहे हैं। लगभग 80% बांध 25 वर्ष से अधिक पुराने हैं और 227 से अधिक बांध 100 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बांधों की उम्र बढ़ने और उनके विलंबित रखरखाव ने बांध सुरक्षा को चिंता का विषय बना दिया है।

बांध सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकता

बांधों का पुराना होना:

जैसे-जैसे बांध पुराने होते जाते हैं उनका डिज़ाइन और जल विज्ञान नवीनतम समझ और गाइडलाइन के अनुरूप नहीं रह जाता है। भारी मात्रा में गाद जमा हो रही है जिसके परिणामस्वरूप बांधों की

जल धारण क्षमता कम होती जा रही है। समय बीतने के साथ पुराने बांधों की संख्या बढ़ रही है और बांधों के विफल होने की संभावना भी बढ़ रही है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों/सर्वेक्षण और जांच के तरीकों, भूवैज्ञानिक और भू-तकनीकी जांच, डिजाइन, निर्माण, आविष्कार और नई सामग्रियों को अपनाने, बेहतर संचालन और रखरखाव और पुनर्वास के विकास से बांध विफलताओं से संबंधित घटनाओं में काफी कमी आई है। हालांकि, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी नई चुनौतियां बढ़ रही हैं जिन्हें उच्च सुरक्षा स्तरों के लिए बढ़ती सामाजिक अपेक्षाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने और बांध सुरक्षा मुद्दों पर किसी भी अनुचित भय को दूर करने के लिए समय पर और उचित तरीके से पहचान करने की आवश्यकता है। हिमालय की नदियां मानसून के दौरान बड़ी मात्रा में गाद लाती हैं जिसके कारण स्पिलवे ग्लेशिस, पियर्स और स्टिलिंग बेसिन जैसी हाइड्रोलिक संरचनाओं के क्षरण के कारण बार-बार मरम्मत की आवश्यकता होती है। कैबिटेशन घर्षण और टकाराव द्वारा ठोस के विघटन के कारण हाइड्रोलिक संरचनाओं का क्षरण होता है। परियोजना घटकों की पहचानी गई 'क्षरण स्थितियों' के आधार पर मरम्मत सामग्री और कार्यप्रणाली को अपनाने की आवश्यकता है। देश में मानसून आने से पहले इन बांधों की सुरक्षा की निगरानी और संचालन को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है।

बांध की सुरक्षा का प्रबंधन:

बांधों का विनियमन पूरी तरह से व्यक्तिगत बांध प्रबंधकों पर निर्भर है। डाउनस्ट्रीम जल आवश्यकता के संदर्भ में कोई उचित व्यवस्था और समझ नहीं है तथा बांध की सुरक्षा अन्य कारकों पर निर्भर करती है जैसे परिदृश्य, भूमि-उपयोग परिवर्तन, वर्षा के पैटर्न, संरचनात्मक विशेषताएं इत्यादि। उचित बांध सुरक्षा ढांचे के अभाव में, बांधों की जांच, डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में कमियां शामिल हो सकती हैं जिससे गंभीर घटनाएं हो सकती हैं और कभी-कभी बांध विफलता भी हो सकती है। 1917 में तिघरा बांध (मध्य प्रदेश) की विफलता के बाद से अब तक लगभग 40 बड़े बांधों के विफल होने की खबर है। नवंबर 2021 में अन्नामय्या बांध (आंध्र प्रदेश) के टूटने का सबसे ताजा मामला बताया गया है कि इसमें 20 लोगों की मौत हो गई।

बांध सुरक्षा अधिनियम की संवैधानिक वैधता:

जल राज्य सूची (प्रविष्टि 17) के अंतर्गत है लेकिन केंद्र संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत कानून लाया है, जिसे संघ सूची की प्रविष्टि 56 और प्रविष्टि 97 के साथ पढ़ा जाता है।

• राज्य सूची, प्रविष्टि 17 : जल अर्थात् जल आपूर्ति, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति सूची-1 की प्रविष्टि 56 के प्रावधानों के अधीन।

• सूची-I की प्रविष्टि 56 संसद को अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन पर कानून बनाने की अनुमति देती है यदि वह इस तरह के विनियमन को सार्वजनिक हित में समीचीन घोषित करती है।

अनुच्छेद 246 संसद को संविधान की सातवीं अनुसूची में संघ सूची की सूची-I में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। प्रविष्टि 97 संसद को सूची-II या सूची-III में शामिल नहीं किए गए किसी भी अन्य मामले पर कानून बनाने की अनुमति देती है जिसमें उन सूचियों में से किसी भी कर का उल्लेख नहीं है।

बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 एवं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति

"बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र और उससे जुड़े या उसके आकस्मिक मामलों के लिए एक अधिनियम है। अधिनियम की विशेषताएं-

- बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष करेंगे। समिति के कार्यों में बांध सुरक्षा मानकों और बांध विफलताओं की रोकथाम के संबंध में नीतियां और नियम तैयार करना, प्रमुख बांध विफलताओं के कारणों का विश्लेषण करना और बांध सुरक्षा प्रथाओं में बदलाव का सुझाव देना शामिल होगा।
- यह अधिनियम एक राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की स्थापना पर भी विचार करता है, जिसका नेतृत्व एक अधिकारी करेगा, जो अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे का नहीं होगा, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इस प्राधिकरण के मुख्य कार्य में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना , राज्य बांध सुरक्षा संगठनों या एसडीएसओ

और उस राज्य के किसी भी बांध मालिक के बीच मुद्दों को हल करना, बांधों के निरीक्षण और जांच के लिए नियमों को निर्दिष्ट करना शामिल है।

- राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण एनडीएसए बांधों के निर्माण, डिजाइन और परिवर्तन पर काम करने वाली एजेंसियों को मान्यता भी प्रदान करेगा।
- अधिनियम में एक राज्य बांध सुरक्षा संगठन के गठन की भी परिकल्पना की गई है, जिसका कार्य बांधों की सतत निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव की निगरानी करना, सभी बांधों का डेटाबेस रखना और बांधों के मालिकों को सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना होगा।
- निर्दिष्ट बांधों के मालिकों को प्रत्येक बांध में एक बांध सुरक्षा इकाई प्रदान करना आवश्यक है। यह इकाई मानसून सत्र से पहले और बाद में और किसी भी आपदा या संकट के संकेत के दौरान और बाद में बांधों का निरीक्षण करेगी।
- बांध मालिकों को एक आपातकालीन कार्य योजना तैयार करने और निर्दिष्ट नियमित अंतराल पर प्रत्येक बांध के लिए जोखिम मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।
- बांध मालिकों को नियमित अंतराल पर विशेषज्ञों के एक पैनल के माध्यम से प्रत्येक बांध का व्यापक बांध सुरक्षा मूल्यांकन कराने की भी आवश्यकता होगी।
- अधिनियम में दो प्रकार के अपराधों का प्रावधान है - किसी व्यक्ति को उसके कार्यों के निर्वहन में बाधा डालना और प्रस्तावित कानून के तहत जारी निर्देशों का पालन करने से इनकार करना।

बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 30 दिसंबर, 2021 से लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बांध विफलता से संबंधित आपदाओं की रोकथाम के लिए निर्दिष्ट बांध की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना और उनके सुरक्षित कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करना है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने समान बांध सुरक्षा नीतियों, प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं को विकसित करने में मदद करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति के गठन को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। इसके अलावा, बांध सुरक्षा नीतियों और मानकों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करने के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है। यह अधिनियम मौजूदा महत्वपूर्ण बांध सुरक्षा चिंताओं के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन आदि जैसे नए मुद्दों को व्यापक रूप से संबोधित करता है। इसके प्रमुख प्रावधानों में बांधों का नियमित निरीक्षण शामिल है। बांधों के खतरे का वर्गीकरण, आपातकालीन कार्य योजना, एक स्वतंत्र पैनल द्वारा व्यापक बांध सुरक्षा समीक्षा, समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए धन, संचालन और रखरखाव मैनुअल, घटनाओं और विफलता का रिकॉर्ड, जोखिम मूल्यांकन अध्ययन, जल-मौसम विज्ञान और भूकंपीय नेटवर्क सहित बांध उपकरणीकरण, एजेंसियों की मान्यता, आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली और अपराध तथा दंड। हाल की आपदाओं ने दिखाया है कि बांध सुरक्षा नियम कितने महत्वपूर्ण हैं और यह पारिस्थितिकी, जल विज्ञान आदि जैसे कई बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। इसलिए एक समग्र दृष्टिकोण समय की मांग है जिसमें सभी संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए। बांध की विफलता से अकल्पनीय पैमाने पर जान-माल की हानि होती है और इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर बांध से संबंधित कानूनों और विनियमों में एकरूपता होनी चाहिए।

जल भंडारण क्षमता में कमी

देश में बांधों के माध्यम से सालाना लगभग 30 हजार करोड़ घन मीटर पानी का भंडारण किया जाता है। बांधों के पुराने होने से उनके जल भंडारण की क्षमता लगातार घट रही है। इससे उनका उपयोग घट गया है। सिंचाई के लिहाज से कमांड एरिया कम होने लगा है। इसके मुकाबले उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इसे देखते हुए संसद से पारित बांध सुरक्षा अधिनियम कारगर साबित हो सकता है।

पुराने बांधों की मरम्मत एवं निरीक्षण

अधिनियम का उद्देश्य बांध के अचानक टूट जाने से संबंधित आपदाओं की रोकथाम और इनका सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करना है। इसके तहत एक संस्थागत तंत्र का गठन किया जाएगा जो निरंतर इन पुराने बांधों की मरम्मत के साथ समुचित देखभाल करता रहेगा। अधिनियम पारित करते समय जलवायु परिवर्तन जैसी नई चुनौतियों का भी ध्यान रखा गया है। इस अधिनियम में

बांधों का नियमित निरीक्षण, जोखिम वर्गीकरण, आपातकालीन कार्य योजना, एक स्वतंत्र पैनल से बांध सुरक्षा की समीक्षा, बांधों की समय पर मरम्मत और रखरखाव के लिए धन मुहैया कराना, परिचालन और रखरखाव मैनुअल, जोखिम मूल्यांकन, जल-मौसम विज्ञान और भूकंपीय नेटवर्क सहित बांध उपकरण, एजेंसियों की मान्यता, आपातकालीन बाढ़ चेतावनी प्रणाली और अपराध तथा दंड जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं।

•••••••••

मुझे क्या

अच्छा लगता हैं तो निभाओ मुझे क्या,
काम जब तक चले चलाओ मुझे क्या।।

कल तो पतझड़ में अकेला छोड़ा तुमने,
संग सावन में आओ न आओ मुझे क्या।।

अरे मुझे आदत है इस अंधेरे की,
बत्तियाँ जलाओ या बुझाओ मुझे क्या।।

पसंद हैं हमको सत्य की राह में चलना,
तुम्हें झूठ पसंद हैं तो जाओ मुझे क्या।।

मैं तो सामान्य हूं साहब रास्ते बना लूंगी,
आरक्षण को हटाओ न हटाओ मुझे क्या।।

परेशानी में सदा ही साथ पाओगी मुझे,
अब चाहे बताओ या छिपाओ मुझे क्या।।

काम जो भी था तुमसे निकल गया है,
मेरा नाम याद रखो या भुलाओ मुझे क्या।।

आंशिता सिंह पत्नी श्री विजय सिंह, प्रबंधक (यांत्रिक)
सलाल पावर स्टेशन, ज्योतिपुरम (जम्मू व कश्मीर)

सतीश चंद्र जोशी, महाप्रबंधक (सिविल)/
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी
सतर्कता विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

सतर्कता – मानव मूल्यों का मंत्र

सतर्कता लैटिन शब्द 'वेकफुलनेस', विजिलेंटिया से आई है। सभी मानते हैं कि 'सतर्कता' हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमें अपने जीवन के हर कार्यों को करते समय सतर्क रहना अति आवश्यक है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि 'यो जागार तमृचह कामयन्ते' अर्थात 'जो जागरूक रहता है, उसी को ऋचाएं (सभी शास्त्र) चाहती हैं।'

प्रायः देखा गया है कि जब भी हम अपने दैनिक कार्यों के दौरान सतर्कता का नाम लेते हैं तो मन में सतर्कता को लेकर एक अलग विचार आता है और सतर्कता शब्द को भ्रष्टाचार से जोड़ दिया जाता है। आम नागरिक व गैर सरकारी लोगों की सोच होती है कि यह शब्द तो सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होता है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयुक्त होता है। सतर्कता को लेकर आमजन की यह धारणा वास्तविकता से परे है। वास्तव में सतर्कता का अर्थ है कि हम अपने प्रत्येक कार्यकलापों के दौरान चाहे व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो या व्यावसायिक हों, हमेशा सतर्क रहें। हमें सतर्क रहकर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्रियाकलापों से किसी को कोई असुविधा न हो ना ही किसी का कोई नुकसान हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि हमसे के कोई अन्य व्यक्ति यदि जाने-अनजाने में किसी गलत दिशा में जा रहे हैं तो उन्हें भी सचेत करें।

सलाह में ही 'सतर्कता' सम्मिलित है। सतर्कता का अनुपालन घर से ही शुरू होता है। हम देखते हैं कि घर के बुजुर्ग बच्चों को तरह–तरह की सलाह देते रहते हैं जिससे बच्चों को सही गलत का पता चलता है और वे नुकसान से बच जाते हैं। उदाहरण के तौर पर छोटे बच्चों को आग के नजदीक ना जाने की सलाह, बच्चों को आपस में मेलजोल से रहकर आपस में ना झगड़ने की सलाह, पढ़ाई में लगन के साथ मेहनत की सलाह, सभी बड़े बुजुर्गों का आदर करने की सलाह आदि। यह हमारे संस्कारों में भी निहित है कि हम यद्यपि बड़े होकर जिम्मेदार हो चुके होते हैं फिर भी हमारे बुजुर्ग सलाह देकर सतर्क रहने कि बात जरूर करते हैं। जैसे कि सफर के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जेब कतरों से सावधान रहना, यात्रा करने के लिए स्टेशन पर समय से पहुंचना, सफर में अंजान लोगों पर तुरंत विश्वास न करना आदि। इन सब सलाहों में उनकी चिंता छिपी होती है तथा हमें सतर्क रहने की सलाह भी होती है।

हमारे शिक्षणकाल के दौरान हमारे शिक्षकों द्वारा समय–समय पर बताई गई बातें, हमें सतर्क रखकर एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर एक प्रयास होता है। भाई–बहन व मित्र मंडली भी आपस में अपने-अपने स्तर पर एक दूसरे को विषयपरक मामलों पर सतर्क रहने की सलाह देकर प्रयास करते रहते हैं ताकि अपनों का कोई नुकसान न हो जाए।

इसके अतिरिक्त समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा दिए गए उनके विचार, संतों के उपदेशों व प्रबुद्ध लोगों द्वारा सार्वजनिक मंचों में प्रकट किए गए उदगार भी सतर्कता संदेशों के साथ आम जनमानस

तक पहुंचते हैं जिनमें सभी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहने, उच्च जीवन मूल्यों को अपनाने, एक सभ्य समाज के निर्माण का संकल्प, जन कल्याण के प्रति उत्तरदायित्व आदि सम्मिलित होते हैं। जब हम ऐसे प्रेरणादायी संदेशों/विचारों को सुनते हैं तो हम उत्साहित होकर एवं सतर्क रहकर एक सुशिक्षित विकसित समाज के विकास में भागीदार बनते हैं।

जब व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उसे मौका मिलता है कि वह अपने क्रियाकलापों में सतर्कता बरते। कर्म क्षेत्र जरूरी नहीं कि सरकारी सेवा हो बल्कि यह निजी संस्थान, स्व-व्यवसाय, जन-सेवा संस्थान भी हो सकता है। जब सभी नागरिक मिलकर सतर्क रहकर ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो देश के संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित होता है। अपने निजी अधिकार के लिए पंक्ति पर खड़े अंतिम नागरिक तक उसका संवैधानिक अधिकार पहुंचना संभव हो जाता है। सभी को विकास के मौके मिलते हैं व समाज में ऊर्जावान विचार शक्ति का फैलाव होता है। सतर्क रहने के निरंतर प्रयास से समाज में भ्रष्टाचार, दुराचरण और अन्य अपराध की रोकथाम संभव हो पाती है, साथ ही, जरूरत पड़ने पर प्रणाली सुधार एवं दंडात्मक कार्रवाइयों द्वारा प्रणाली को सरल और कारगर बनाया जाता है। उपरोक्त प्रयासों के परिणामस्वरूप एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण होता है। वेदों में भी कहा गया है 'वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिताः' अर्थात 'हम सब अपने राष्ट्र में आगे स्थित होकर जागते रहें।'

इसी तरह निजी स्तर पर यदि यह कहा जाए कि सभी को स्वास्थ्य के प्रति सजगता सतर्कता अपनानी चाहिए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। वर्तमान जीवनशैली, दौड़भाग की जिंदगी व निरंतर बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि हम अपने व्यस्ततम समय से कुछ पल निकालकर नियमित रूप से अपने व अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। स्वास्थ्य पर ध्यान देने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना है बल्कि संयमित जीवन शैली अपनानी है जिसमें स्वस्थ भोजन प्रणाली अपनाना, नियमित योग या व्यायाम करना, समय पर सोना, समय पर उठना, सुबह-शाम घूमना आदि को अपनी आदत में शामिल करना जरूरी है। यह कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अतः मन स्वस्थ है तो निश्चय ही हमारे किए गए सभी कार्य सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूर्ण होंगे व हम देश कि लिए उत्कृष्ट मानव संसाधन के रूप में उपलब्ध हो पाएंगे। सेवानिवृत्ति के पश्चात भी सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क व सजग रहना अति आवशयक है। हम प्रायः देखते हैं कि हमारे बच्चे भी हमें समय–समय पर डाक्टरी जांच की सलाह देते रहते हैं। मित्रगण भी सलाह देते रहते हैं कि किसी भी बीमारी को अनदेखा ना करें समय पर डॉक्टर से सलाह लेकर बीमारी से बचा जाए।

इस तरह देखा जाए तो सतर्कता का अस्तित्व हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में है। सतर्कता को हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है। सतर्कता को अपनाना एक उत्कृष्ट जीवनशैली को जीने का मूल मंत्र है। सतर्कता बरतने से हम सभी न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में उच्च मानक स्थापित करते हैं बल्कि समाज में एक आदर्श स्थापित करने में भी सक्षम होते हैं। सतर्कता बरतने से नैतिक मूल्यों के साथ–साथ व्यक्तिगत विकास तो होता ही है साथ ही, परिवार, समाज व देश का समग्र विकास भी सुनिश्चित होता है।

•••••••••

भारत के संविधान में राजभाषा संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(2) जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210 विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

(1) भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

@kstudyadda.in

(2) जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।

परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा

(1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था, परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वारा

(क) अंग्रेजी भाषा का, या

(ख) अंकों के देवनागरी रूप का,

ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को

(क) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग,

(ख) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों,

(ग) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा,

(घ) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप,

(ङ) संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

(3) खंड (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

(4) एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

(5) समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे।

(6) अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निदेश दे सकेगा।

अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगाः

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी।

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों

के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निदेश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक

(क) उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी,

(ख) (i) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

(ii) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और

(iii) इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

(2) खंड (1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगाः

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

(3) खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला

कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही देगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 (क) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 (ख) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

(1) भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

(2) विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे,

राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्थानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

....

जापानियों ने जिस ढंग से विदेशी भाषाएं सीखकर अपनी मातृभाषा को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है, ठीक उसी प्रकार हमें भी मातृभाषा 'हिंदी' का भक्त होना चाहिए।

- श्यामसुंदर दास

निगम मुख्यालय सहित परियोजना/पावर स्टेशनों में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन

नदी सी भाषा

एक नदी पतली धारा सी पहाड़ों से उतरती है,
अन्य छोटी-बड़ी जलधाराओं को संग लिए गुजरती है।
मार्ग में आते कई व्यवधान पर उनसे न डरती-ठहरती है,
बड़ी-छोटी चट्टानों को धैर्य से काटती चलती है।
उसके छोटे-बड़े विविध कणों को समेटती
नई विशेषताओं में ढ़लती है,
ये विविधता उसे और समृद्ध बनाती-आगे बढ़ाती है।
तभी तो वो आंचल की छांव देने वाली मां सी कहलाती है,
जीवंत भाषा भी ऐसे ही आगे बढ़ती है।
विविध बोलियों को साथ ले नए स्वरूप में ढ़लती है,
भयभीत नहीं होती किसी प्रतिरोधी से कभी,
सभी से सामंजस्य बनाते अपनी राह चलती है।
जीवित रहने, प्रासंगिक रहने को सौ जतन करती है,
कई बोलियों की छाप लिए एक नई पहचान गढ़ती है।
हिंदी ने भी सदियों से यही राह अपनाई है,
विभिन्न झंझावातों से गुजरते अपना अस्तित्व बचाती आई है।
संस्कृत, प्राकृत, खड़ी बोलियों से होते आज इस रूप में आई है,
अरबी, फ़ारसी, उर्दू से भी न घबरा खुद में समाहित करती आई है।
तभी तो आज हिंदी ने वैश्विक पहचान पाई है,
देश ही नहीं विदेशों में भी संपर्क भाषा बन छाई है।
पुरखों के बाद हमें भी अब अपना फ़र्ज निभाना है,
हिंदी को और समृद्ध करते इसकी स्वीकार्यता को बढ़ाना है।
बाजार ही नहीं इसे तकनीक की भाषा भी बनाना है,
सितारों के आगे के जहां में भी हिंदी को पहुंचाना है.....।।

अभिषेक कुमार मिश्रा, प्रबंधक (भूविज्ञान)
भूविज्ञान विभाग, निगम मुख्यालय

पहला कदम

कहीं न कहीं कोई न कोई बढ़ो एक कदम किसी भी तरफ,
या इस तरफ या उस तरफ पहला कदम हमेशा अकेला होता है।
मगर कदम-कदम मिलते हुए यह बाद में राह में बदल जाता है।

कहीं न कहीं कोई न कोई बढ़ो एक कदम किसी भी तरफ
या इस तरफ या उस तरफ जैसे कि मुर्गे का स्वभाव
सुबह होते ही आवाज देने का दुनिया को जगाने के लिए
चाहे कोई जागे या न जागे।

जैसे कि बारिश की बूंद एक कतरा मेघ को फाड़ के
धरती पर बन कर उतरती जलधारा,
मगर अपना सफर भी शुरू करती अकेली
एक बूंद के रूप में ही यह सोचे बगैर कि धरा तक पहुंचते
वाष्प बन उड़ जाएगी या और बूंदों संग मिल खेतों में छा जाएगी।

कहीं न कहीं कोई न कोई बढ़ो एक कदम किसी भी तरफ
या इस तरफ या उस तरफ जैसे कि जुगनू की एक छोटी सी
रोशनी सारे अंधकार को तोड़ देती है जैसे दिये के उजाले की
हल्की सी रोशनी रात के घने अंधेरे को पीछे छोड़ देती है।

आप जो भी करें भले आज उसका असर कम लगे
लेकिन वह किसी राह का पहला कदम है।

यह बात सबसे अहम है जैसे आज चांद पर एक छोटा कदम
कल मानवता की बड़ी छलांग
संशय से उबर आईए, अपने चेहरे पर उमंग भरी मुस्कान से रखें
अपना पहला कदम॥

बी एन एस नवीन कुमार, समूह वरिष्ठ प्रबंधक
भूविज्ञान विभाग, निगम मुख्यालय

प्रश्न अनोखे जीवन के......

सोच नहीं पाए थे पहले, प्रश्न अनोखे जीवन के,
सच में कितने मधुरिम थे वो, दिन भी अपने बचपन के।

ना चिंता थी भूख प्यास की, ना डर रोजी रोटी का,
ओढ़ ढाक में खुश जाते, एक दुपट्टा धोती का।

कच्ची मिट्टी के टुकड़ों से, क्या जीवन रस आता था,
चूल्हा, चौकी, बर्तन, हांडी, सारा घर बस जाता था।

कभी सेठ तो कभी कलेक्टर, कभी सिपाही होते थे,
राजा वाले ठाट कभी तो, किले हवाई होते थे।

गुड्डे-गुड़ियों की शादी में, दावत भी होती भरपूर,
सेंव, इमरती, गजक, रेवड़ी, लड्डू बटते मोती चूर।

पढ़ लेते जितनी थी मर्जी, बाक़ी मस्ती का आलम,
चोट लगी तो थोड़े आंसू, थोड़ी मिट्टी का मलहम।

किसे पता था उम्र साथ में कितना कुछ ले जाती है,
छीन सभी बचपन के किस्से, कितना गम दे जाती है।

क़दम क़दम पर नई चुनौती, नई लकीरें माथे पर,
पहले घर में सपने रहते, अब रहता सपनों में घर।

कहां गई गर्मी की छुट्टी, कहां गए दिन सावन के।
सच में कितने मधुरिम थे वो, दिन भी अपने बचपन के।
सोच नहीं पाए थे पहले, प्रश्न अनोखे जीवन के।।

दीपक कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक (विद्युत)
टी एंड आरई विभाग, निगम मुख्यालय, फरीदाबाद

ईमानदारी से छोड़ दो भ्रष्टाचार

चकरे खिलाकर बदुआएं समेटी करके भ्रष्टाचार,
परिवार सहित सुखी रहोगे जब छोड़ोगे भ्रष्टाचार।

अब भी सुधर जाओ मत करो इन्कार,
ईमानदारी से छोड़ दो भ्रष्टाचार ।

जीवन में दुखों का कारण भ्रष्टाचार,
लाखों करोड़ों खर्च किए नहीं हुआ उपचार।

परिवार बिखर गया बस कारण है भ्रष्टाचार,

जैसी करनी वैसी भरनी आदिकाल से सत्य विचार।

भारत में अब आ गई है नवाचार की बौछार,
डिजिटल पारदर्शी नीतियों से हो गए हो लाचार।

चकरे खिलाने का काम अब छोड़ दो ये औजार,
ईमानदारी से छोड़ दो भ्रष्टाचार।

धन रहेगा नहीं, दुखी करके निकलेगा यह भ्रष्टाचार,
बच्चे को एक्सीडेंट में खोए कारण था भ्रष्टाचार।

ऊपरवाला देख रहा है बन लाचार,
बिना आवाज की लाठी मारी किया था, भ्रष्टाचार ।

जसवंत सिंह, वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक
बैरास्यूल पावर स्टेशन, सुरंगानी (हिमाचल प्रदेश)

संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है

एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गए थे । उनके भगवा वस्त्र और आकर्षक पगड़ी देखकर लोग अचंभित रह गए और वे यह पूछे बिना नहीं रह सके, आपका बाकी सामान कहां है?

स्वामी जी बोले, मेरे पास बस यही सामान है ।

तो कुछ लोगों ने व्यंग्य किया, अरे! यह कैसी संस्कृति है आपकी? तन पर केवल एक भगवा चादर लपेट रखी है। कोट-पतलून जैसा कुछ भी पहनावा नहीं है?

इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए और बोले, हमारी संस्कृति आपकी संस्कृति से भिन्न है। आपकी संस्कृति का निर्माण आपके दर्जी करते हैं। जबकि हमारी संस्कृति का निर्माण हमारा चरित्र करता है । संस्कृति वस्त्रों में नहीं, चरित्र के विकास में है।

•••••••••

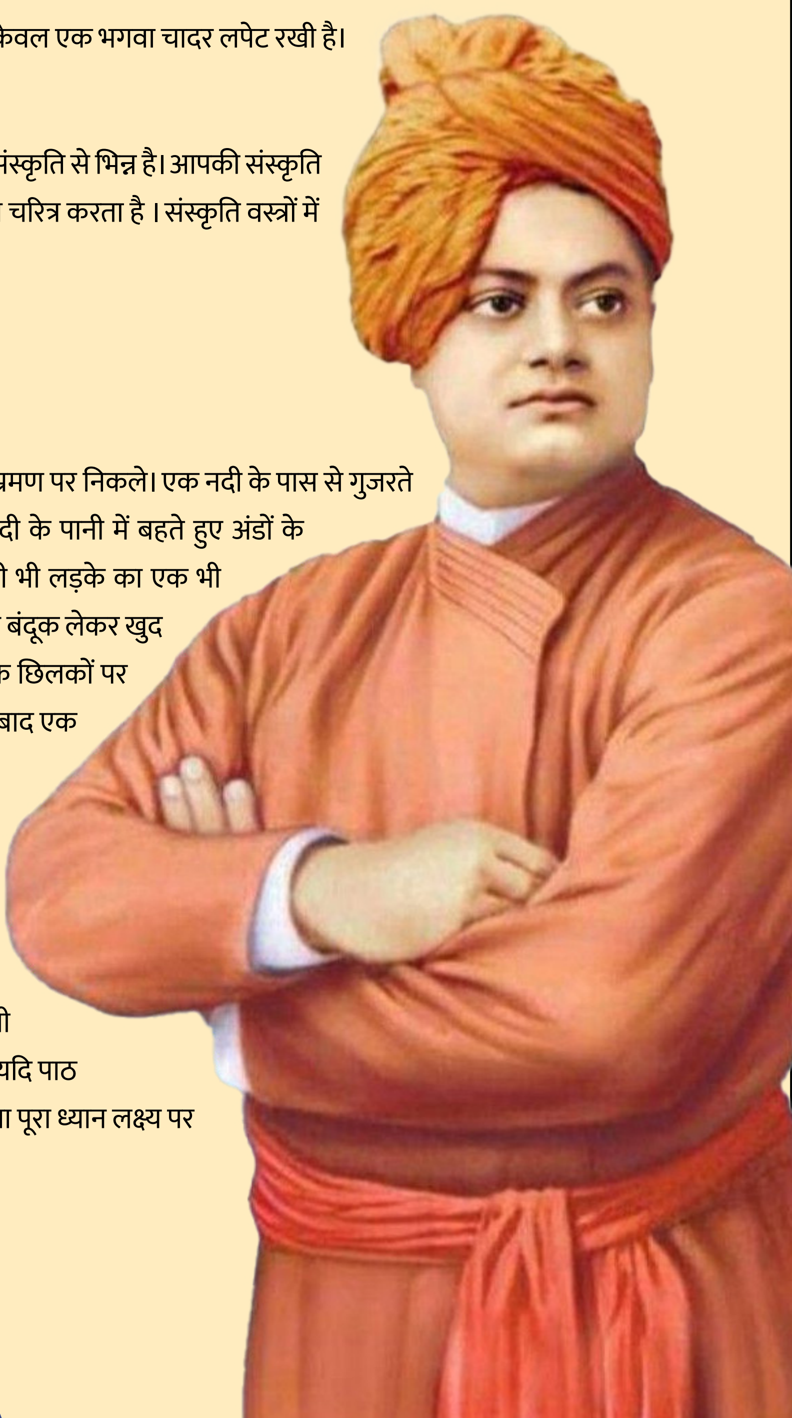

लक्ष्य पर ध्यान

ये उस समय की बात है जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे । एक बार वे भ्रमण पर निकले। एक नदी के पास से गुजरते हुए उन्होंने कुछ लड़कों को देखा। वे सभी पुल पर खड़े थे और वहां से नदी के पानी में बहते हुए अंडों के छिलकों पर, बंदूक से निशाना लगाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन किसी भी लड़के का एक भी निशाना सही नहीं लग रहा था। यह देख वे उन लड़कों के पास गए और उनसे बंदूक लेकर खुद निशाना लगाने लगे। उन्होंने पहला निशाना लगाया। वो सीधे जाकर अंडो के छिलकों पर लगा। फिर उन्होंने दूसरा निशाना लगाया, वो भी सटीक लगा। फिर एक के बाद एक उन्होंने बारह निशाने लगाए। सभी निशाने बिल्कुल सही जगह जाकर लगे।

यह देख, वे सभी लड़के आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, “स्वामी जी, आप इतना सटीक निशाना कैसे लगा पाते हैं? भला कैसे कर पाते हैं आप ये?”

इस पर स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, “असंभव कुछ भी नहीं है। तुम जो भी काम कर रहे हो, अपना दिमाग पूरी तरह से बस उसी एक काम में लगा दो। यदि पाठ पढ़ रहे हो, तो सिर्फ पाठ के बारे में सोचो। यदि निशाना साध रहे हो, तो अपना पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखो। इस तरह तुम कभी नहीं चूकोगे।

•••••••••

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण बैठक

उदयाचल मेरा दीप्त भाल,
भूमंडल वक्षस्थल विशाल,
भुज परिधि-बन्ध को घेरे हैं,
मैनाक-मेरु पग मेरे हैं।

दिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर,
सब हैं मेरे मुख के अन्दर।
'दृग हों तो दृश्य अकाण्ड देख,
मुझमें सारा ब्रह्माण्ड देख,

चर-अचर जीव, जग, क्षर-अक्षर,
नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर।
शत कोटि सूर्य, शत कोटि चन्द्र,
शत कोटि सरित, सर, सिन्धु मन्द्र।

'शत कोटि विष्णु, ब्रह्मा, महेश,
शत कोटि विष्णु जलपति, धनेश,
शत कोटि रुद्र, शत कोटि काल,
शत कोटि दण्डधर लोकपाल।

- रामधारी सिंह दिनकर के खंडकाव्य रश्मिरथी से उद्धरत पंक्तियां

एन एच पी सी NHPC

एन एच पी सी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा
वेबसाइट: www.nhpcindia.com
CIN: L40101HR1975GOI032564

बिजली से संबंधित शिकायतों के लिए 1912 डायल करें

Follow NHPC at :

https://www.facebook.com/NHPCIndiaLimited
https://twitter.com/nhpcltd
https://www.instagram.com/nhpclimited

Printed at : I G Printers Pvt. Ltd. New Delhi - 110020